वैज्ञानिक तथा औद्योगिक अनुसंधान परिषद
अनुसंधान भवन, 2, रफी मार्ग, नई दिल्ली-110001

सं. : 5-1((49)/2008-पीडी

दिनांक : 18.09.2026

कार्यालय ज्ञापन

विषय: राष्ट्रव्यापी डिजिटल जीवन प्रमाणपत्र (डीएलसी) अभियान 5, 1-30 नवम्बर, 2026 के लिए व्यापक दिशानिर्देश के सम्बन्ध में |

अधोहस्ताक्षरी को यह कहने का निदेश हुआ है कि सक्षम प्राधिकारी ने पेंशन और पेंशनभोगी कल्याण विभाग, कार्मिक, लोक शिकायत और पेंशन मंत्रालय, भारत सरकार द्वारा उपरोक्त विषय पर जारी दिनांक 13 अगस्त, 2026 के कार्यालय ज्ञापन सं. 11(3)/2026-पी&पीडब्ल्यू(एच)-11860 को सभी सीएसआईआर प्रयोगशालाओं/संस्थानों/इकाइयों को सूचना, मार्गदर्शन और अनुपालन के लिए अग्रेषित करने की स्वीकृति प्रदान की है।

18/9/26

अमरेन्द्र कुमार
अवर सचिव (नीति प्रभाग)

संलग्न/ : यथोपरि
प्रतिलिपि :

1. सी.एस.आई.आर. की सभी राष्ट्रीय प्रयोगशालाओं/संस्थानों/मुख्यालय/एककों के निदेशक/प्रधान
2. सी.एस.आई.आर. वेबसाइट
3. कार्यालय प्रति

फा.सं. 11(3)/2026-पी&पीडबल्यू(एच)-11860

भारत सरकार

कार्मिक, लोक शिकायत तथा पेंशन मंत्रालय

पेंशन एवं पेंशनभोगी कल्याण विभाग

तीसरा तल, लोक नायक भवन
खान मार्केट, नई दिल्ली
13 अगस्त, 2026

कार्यालय ज्ञापन

विषय: **राष्ट्रव्यापी डिजिटल जीवन प्रमाणपत्र(डीएलसी) अभियान 5, 1-30 नवंबर, 2026 के लिए व्यापक दिशानिर्देश**

भारत सरकार के प्रमुख नीतिगत लक्ष्यों में से एक पेंशनभोगियों का डिजिटल सशक्तिकरण करना है। इस विजन को साकार करने की दिशा में, पेंशन एवं पेंशनभोगी कल्याण विभाग द्वारा प्रतिवर्ष 1 से 30 नवंबर तक राष्ट्रव्यापी डिजिटल जीवन प्रमाणपत्र अभियान संचालित किया जाता है। इस व्यापक अभियान को सार्वजनिक क्षेत्र के बैंकों, इंडिया पोस्ट पेमेंट्स बैंक, यूआईडीएआई, इलेक्ट्रॉनिकी और सूचना प्रौद्योगिकी मंत्रालय, पेंशनभोगी कल्याण संघों और रक्षा मंत्रालय, रेल मंत्रालय तथा डाक विभाग सहित प्रमुख मंत्रालयों के सहयोग से आयोजित किया जाता है। विगत चार वर्षों में, केंद्र सरकार और राज्य सरकारों के पेंशनभोगियों द्वारा 6.40 करोड़ से भी अधिक डिजिटल जीवन प्रमाणपत्र (डीएलसी) जनरेट किए गए हैं। नवंबर 2026 में डीएलसी अभियान 5 आयोजित किया जाएगा और इसमें देशभर के 2,000 शहरों और कस्बों को कवर किया जाएगा।

2. पेंशन एवं पेंशनभोगी कल्याण विभाग निम्नलिखित हितधारकों के सहयोग से इस अभियान को संचालित करेगा:

- रक्षा मंत्रालय (उनके स्वयं के पेंशनभोगियों के लिए)
- रेल मंत्रालय (उनके स्वयं के पेंशनभोगियों के लिए)
- दूरसंचार विभाग (उनके स्वयं के पेंशनभोगियों के लिए)
- डाक विभाग
- इंडिया पोस्ट पेमेंट्स बैंक(आईपीपीबी)
- सभी पेंशन संवितरण बैंक
- सभी पेंशनभोगी कल्याण संघ
- सभी मंत्रालय/विभाग
- राज्य सरकारें अपने कोषागारों/पेंशन संवितरण कार्यालयों के माध्यम से
- कर्मचारी भविष्य निधि संगठन (ईपीएफओ)
- पीआईबी, दूरदर्शन & ऑल इंडिया रेडियो(मीडिया मदद के लिए)

- यूआईडीएआई और मेटी(MeitY)(तकनीकी मदद के लिए)

3. **राष्ट्रव्यापी डीएलसी अभियान 5 की विशेषताएं:**

- राष्ट्रव्यापी डीएलसी अभियान का एक समान एकरूप अखिल भारतीय बैनर होगा जिसे पेंशन एवं पेंशनभोगी कल्याण विभाग द्वारा अलग से साझा किया जाएगा।
- पेंशन एवं पेंशनभोगी कल्याण विभाग प्रत्येक राज्य के लिए अपने नोडल अधिकारियों को नामित करेगा। ये नोडल अधिकारी संबंधित राज्यों/संघ राज्य क्षेत्रों के लिए उपर्युक्त विभिन्न हितधारकों के अभियान नोडल अधिकारियों से संपर्क करेंगे।
- इस अभियान को आईपीपीबी के सहयोग से सभी जिला मुख्यालयों में डीएलसी शिविर लगाकर आयोजित किया जाएगा और बैंकों के सहयोग से 250 से अधिक शहरों को कवर किया जाएगा। इसलिए, किसी एक शहर/कस्बे में दो या अधिक बैंकों या आईपीपीबी, सीजीडीए, रेल मंत्रालय और बैंकों के कई शिविर हो सकते हैं।
- शहरों का चयन कर लिया गया है और प्रत्येक शहर में बैंकों और अन्य हितधारकों द्वारा कई स्थलों को चुना जाएगा।
- अभियान के लिए चुने गए प्रत्येक शहर में चुनिंदा कई स्थलों पर बैंकों/सीजीडीए/रेल मंत्रालय/आईपीपीबी/राज्य सरकारों द्वारा शिविर आयोजित किए जाएंगे।
- प्रत्येक बैंक, हर राज्य/संघ राज्य क्षेत्र के लिए अपने नोडल अधिकारियों को नामित करेगा, जो अभियान के लिए प्रत्येक शहर के लिए, बैंक के नोडल अधिकारी के साथ समन्वय कार्य करेगा। पेंशन एवं पेंशनभोगी कल्याण विभाग केवल राज्य के नोडल अधिकारियों के साथ समन्वय कार्य करेगा।
- आईपीपीबी देशभर में हर एक जिले के लिए नोडल अधिकारी नामित करेगा।
- रक्षा मंत्रालय, रेल मंत्रालय, दूरसंचार विभाग और ईपीएफओ अपने स्वयं के नोडल अधिकारियों को नियुक्त करेंगे, जो तदनुसार पेंशन एवं पेंशनभोगी कल्याण विभाग द्वारा कवर किए गए स्थानों में क्रमवेशन करेंगे।
- इस अभियान में शामिल होने वाली सभी राज्य सरकारें अपने स्वयं के नोडल अधिकारियों को नियुक्त करेंगी, जो तदनुसार पेंशन एवं पेंशनभोगी कल्याण विभाग द्वारा कवर किए गए स्थानों में क्रमवेशन करेंगे।
- यूआईडीएआई तथा मेटी(MeitY) भी प्रत्येक राज्य/संघ राज्य क्षेत्र में तकनीकी मदद देने के लिए अपने नोडल अधिकारियों को नामित करेंगे।
- पीआईबी और दूरदर्शन प्रत्येक राज्य/संघ राज्य क्षेत्र में प्रचार के लिए अपने नोडल अधिकारियों को नामित करेंगे।
- सितंबर, 2026 से सोशल मीडिया, प्रिंट मीडिया के माध्यम से और सभी हितधारकों द्वारा व्यापक प्रचार-प्रसार शुरू किया जाएगा।
- अभियान से जुड़े सभी बैंक नवंबर 2026 माह में प्रतिदिन शिविर लगाएंगे।

- किसी राज्य विशेष में अभियान से जुड़े आईपीपीबी/सीजीडीए/रेल मंत्रालय/राज्य सरकारों द्वारा नवंबर 2026 के निर्दिष्ट दिनों पर शिविर आयोजित किए जाएंगे और उसके ब्यौरे पेंशन एवं पेंशनभोगी कल्याण विभाग को भेजे जाएंगे।
- मेटी(MeitY) अभियान की प्रगति पर रिअल-टाइम सपोर्ट प्रदान करेगा।
- पेंशन एवं पेंशनभोगी कल्याण विभाग सभी नोडल अधिकारियों का एक व्हाटसऐप ग्रुप बनाएगा ताकि अभियान के दौरान, प्रत्येक सूचना की रिअल-टाइम शेयरिंग की जाए।

4. यूआरएल https://ipension.nic.in/dlcportal/ के साथ एक पृथक **डीएलसी पोर्टल** बनाया गया है जिसमें राज्य और शहर स्तर पर नोडल अधिकारियों के विवरण दर्ज किए जाएंगे। अभियान से संबंधित सभी इनपुट जैसे ट्वीट्स के यूआरएल और पीआईबी नोट्स/प्रेस विज्ञप्तियों को इस पोर्टल पर डाला जाएगा। डीएलसी पोर्टल का यूजर मैनुअल संदर्भ के लिए संलग्न है।

5. **अभियान-पूर्व तैयारी चरण (1 अगस्त - 31 अक्तूबर, 2026)**

- पेंशन एवं पेंशनभोगी कल्याण विभाग, सभी बैंकों, आईपीपीबी, रक्षा, रेलवे, राज्य सरकारों, ईपीएफओ, यूआईडीएआई, मेटी(MeitY), पीआईबी और दूरदर्शन द्वारा नोडल अधिकारियों का नामनिर्देशन।
- पेंशन एवं पेंशनभोगी कल्याण विभाग के अधिकारियों के साथ, अभिनिर्धारित शहरों/कस्बों के लिए, सभी हितधारकों की राज्यवार बैठकें।
- पेंशन एवं पेंशनभोगी कल्याण विभाग/यूआईडीएआई/मेटी (MeitY) द्वारा फेस ऑथेंटिकेशन के माध्यम से डीएलसी जमा करने और डीएलसी पोर्टल के प्रयोग पर नोडल अधिकारियों का प्रशिक्षण और प्रशिक्षकों का प्रशिक्षण।

5. **(क)** 80 वर्ष और उससे अधिक आयु के पेंशनभोगियों के लिए एक विशेष उपबंध है, अपनी पेंशन जारी रखने के लिए वे अक्तूबर माह में भी अपना जीवन प्रमाणपत्र जमा कर सकते हैं। 1 से 31 अक्तूबर, 2026 तक अति वरिष्ठ पेंशनभोगियों को डीएलसी से संबंधित सेवा प्रदान करने के लिए, सभी बैंक अपनी शाखाओं में यथोचित प्रबंध करेंगे।

6. **अभियान अवधि के दौरान किए जाने वाले कार्य (1 नवंबर - 30 नवंबर, 2026)**

- राष्ट्रव्यापी डीएलसी अभियान 5 का शुभारंभ।
- निर्धारित समय के अनुसार अभिनिर्धारित शहरों/कस्बों में डीएलसी शिविर का आयोजन। अन्य सभी स्थानों पर भी बैंकों/आईपीपीबी/सीजीडीए/रेल मंत्रालय/राज्य सरकारों में इस सुविधा को जारी रखा जाए।
- डीएलसी अभियान की प्रगति के बारे में डीएलसी पोर्टल पर मेटी(MeitY) द्वारा केंद्रीय रूप से डेटा का दैनिक अद्यतन।
- संबंधित नोडल अधिकारियों द्वारा प्रत्येक शहर के लिए पीआईबी नोट और ट्वीट जारी करना। इसकी निगरानी उस राज्य/संघ राज्य क्षेत्र के प्रभारी डीओपीपीडबल्यू अधिकारी द्वारा की

जाएगी। सभी नोडल अधिकारी पीआईबी, ट्वीट के लिंक, दूरदर्शन कवरेज आदि पोर्टल/सोशल मीडिया ग्रुप पर साझा करेंगे।

- पेंशन एवं पेंशनभोगी कल्याण विभाग द्वारा राष्ट्रव्यापी डीएलसी अभियान पुस्तिका एवं फिल्म का विमोचन।

7. मंत्रालयों/विभागों/बैंकों और राज्य सरकारों की भूमिका अनुबंध 1 में दी गई है। फेस ऑथेंटिकेशन तकनीक से संबंधित एसओपी अनुबंध 2 में दी गई है। डीएलसी पोर्टल के लिए उपयोगकर्ता मैनुअल अनुबंध 3 में दिया गया है।

8. <u>मीडिया योजना</u>

- डीएलसी/फेस ऑथेंटिकेशन पर जागरूकता संबंधी सभी सामग्री डीओपीपीडबल्यू के पोर्टल पर उपलब्ध होगी। सभी नोडल अधिकारी व्यापक जागरूकता के लिए उस सामग्री का उपयोग कर सकते हैं।
- पेंशन एवं पेंशनभोगी कल्याण विभाग 15 सितंबर और 15 अक्तूबर, 2026 को राष्ट्रीय अभियान का विवरण देते हुए डीएलसी/फेस ऑथेंटिकेशन के बारे में जागरूकता के लिए पूरे देश को कवर करते हुए 2 प्रिंट विज्ञापन जारी करेगा।
- अक्तूबर और नवंबर, 2026 माह में पेंशन एवं पेंशनभोगी कल्याण विभाग केंद्र सरकार के ऐसे सिविल पेंशनभोगियों को एसएमएस भेजेगा जिनके मोबाइल नंबर पेंशन एवं पेंशनभोगी कल्याण विभाग डेटाबेस में उपलब्ध हैं।
- सभी बैंक/आईपीपीबी अभिनिर्धारित शहरों में स्थानीय समाचार पत्रों में स्थानीय भाषाओं में पहले से ही जागरूकता अभियान चलाएं ताकि पेंशनभोगी इन शिविरों में भाग ले सकें।
- सभी शहरों में प्रत्येक शिविर-स्थल का दूरदर्शन/ऑल इंडिया रेडियो कवरेज।
- सितंबर 2026 से, डीएलसी के बारे में व्यापक जागरूकता के लिए डीएलसी/फेस ऑथेंटिकेशन एसओपी, सूचना ग्राफिक्स, लघु वीडियो, डीएलसी अभियान 2026 की सफलता गाथाओं को कवर करते हुए ट्विटर श्रृंखला शुरू की जाएगी।
- अभियान के अंत में डीएलसी अभियान पुस्तिका का विमोचन।

9. समग्र समन्वय के लिए, पेंशन एवं पेंशनभोगी कल्याण विभाग के निम्नलिखित अधिकारियों को नामित किया गया है :-

क्र.सं.	नाम	भूमिका	संपर्क ब्यौरा	ई-मेल आईडी
1.	श्री रविकिरण उबाले, निदेशक	अभियान समन्वयक	011-24650580, 7710078925	ubalera@cag.gov.in
2.	श्री सुभाष चंदर, अवर सचिव	मंत्रालय/विभाग समन्वयक	011-24644631, 9810698336	subhash.chander123@nic.in
3.	सुश्री रमनजीत कौर, वरिष्ठ परामर्शदाता	बैंक/पीडबल्यूए/डीएलसी पोर्टल समन्वयक	011-24644631, 9643318767	ramanjit.kaur61@govcontractor.nic.in

10. 1 से 30 नवंबर 2026 तक चलने वाले राष्ट्रव्यापी डीएलसी अभियान 5 के लिए उपरोक्त व्यापक दिशानिर्देश, देशभर में सभी पेंशनभोगियों द्वारा डीएलसी का उपयोग सुनिश्चित करने के लिए जारी किए जा रहे हैं। सभी हितधारकों से अनुरोध है कि वे सौंपी गई भूमिकाओं का पालन करें।

संलग्नक:

I. **मंत्रालयों/विभागों/बैंकों और राज्य सरकारों की भूमिका**

II. **एसओपी**

III. **डीएलसी पोर्टल के लिए यूज़र मैनुअल**

(ध्रुवज्योति सेनगुप्ता)
संयुक्त सचिव, भारत सरकार

1. भारत सरकार के सभी सचिव/अध्यक्ष, रेलवे बोर्ड
2. राज्य सरकारों के सभी मुख्य सचिव
3. सचिव, दूरसंचार विभाग
4. सचिव, डाक विभाग, संचार मंत्रालय
5. महानिदेशक, डीडी न्यूज़
6. महानिदेशक, एआईआर
7. सीजीडीए, दूरसंचार विभाग
8. रक्षा लेखा महानियंत्रक
9. सीईओ, यूआईडीएआई
10. एमडी और सीईओ, इंडिया पोस्ट पेमेंटस बैंक
11. लेखा महानियंत्रक
12. सीसी(पेंशन), केंद्रीय पेंशन लेखा कार्यालय
13. केंद्रीय भविष्य निधि आयुक्त, ईपीएफओ
14. सभी पेंशन संवितरण बैंकों के सीएमडी

प्रतिलिपि सूचनार्थ :

1. अपर सचिव, प्रधानमंत्री कार्यालय(श्री सी.श्रीधर)
2. संयुक्त सचिव, मंत्रिमंडल सचिवालय (श्रीमती कविता सिंह)
3. राज्यमंत्री(पीपी) के निजी सचिव

अनुबंध-1

मंत्रालयों/विभागों/बैंकों और राज्य सरकारों की भूमिका

1. **पेंशन एवं पेंशनभोगी कल्याण विभाग की भूमिका**

- सभी हितधारकों को अभियान का ब्यौरा देने वाले दिशानिर्देश जारी करना।
- राष्ट्रव्यापी डीएलसी अभियान 5 का एक समान एकरूप अखिल भारतीय बैनर तैयार करना और सभी हितधारकों को परिचालित करना।
- प्रत्येक राज्य/संघ राज्य क्षेत्र के लिए नोडल अधिकारियों का नामांकन।
- अभियान की निगरानी और निरीक्षण के लिए पेंशन एवं पेंशनभोगी कल्याण विभाग द्वारा नामित अधिकारियों का विभिन्न स्थानों पर दौरा।
- विभिन्न राज्यों/संघ राज्य क्षेत्रों में सभी हितधारकों के साथ बैठकें करना।
- अभियान की निगरानी करना और डीएलसी पोर्टल पर नोडल अधिकारियों, शहरों और शिविरों के स्थानों का विवरण अपलोड करना।
- विभिन्न स्थलों की तस्वीरें और ट्वीट्स की संख्या पोस्ट करने के लिए सभी नोडल अधिकारियों को सम्मिलित करते हुए एक सोशल मीडिया ग्रुप बनाना।
- फेस ऑथेंटिकेशन और डीएलसी विधियों में मेटी(MeitY) और यूआईडीएआई अधिकारियों के साथ-साथ विभिन्न हितधारकों का प्रशिक्षण।
- डीएलसी अभियान के संबंध में समाचार पत्रों, टेलीविजन, एफएम रेडियो, सोशल मीडिया, एसएमएस संदेशों, लघु फिल्मों तथा दूरदर्शन(प्रसार भारती) के माध्यम से उचित समय पर जागरूकता फैलाना।

2. **पेंशन संवितरण बैंकों की भूमिका**

- राष्ट्रव्यापी डीएलसी अभियान के लिए प्रत्येक बैंक द्वारा एक नोडल अधिकारी नामित किया जाए, जो मुख्य महाप्रबंधक/महाप्रबंधक के पद से नीचे का न हो।

- प्रत्येक राज्य/संघ राज्य क्षेत्र के लिए, जहां बैंक को अग्रणी बैंक के रूप में अभिज्ञात किया गया हो, राज्य/संघ राज्य क्षेत्रवार उप-नोडल अधिकारियों को नामित किया जाए, जो एजीएम के पद से नीचे का न हो।
- अभियान आयोजित करने के लिए संबंधित शहरों में कई शाखाओं को शॉर्टलिस्ट करें।
- अपने स्थलों पर एक समान एकरूप बैनर का उपयोग करके राष्ट्रव्यापी डीएलसी अभियान के बारे में जागरूकता अभियान चलाएं और सोशल मीडिया, पेंशनभोगियों को एसएमएस तथा अन्य माध्यमों जैसे डिजीहट्स, एटीएम और प्रमुख शाखाओं पर पोस्टरों द्वारा इस अभियान का प्रचार करें।
- जब पेंशनभोगी डीएलसी प्रमाणपत्र जमा करने के लिए शाखा में जाएं तो सभी शाखाओं(भले ही डीएलसी अभियान के चयनित शहरों/स्थलों की सूची में न हों) में समर्पित कर्मचारियों के पास इस तकनीक का उपयोग करने के लिए एंड्रॉइड/आईओएस फोन हो।
- पेंशनभोगियों को अपने मोबाइल में फेस ऑथेंटिकेशन ऐप्स को डाउनलोड करने के लिए प्रोत्साहित किया जाए ताकि वे स्वयं इस तकनीक को सीखें।
- पेंशन एवं पेंशनभोगी कल्याण विभाग, यूआईडीएआई, मेटी(MeitY), पीआईबी तथा दूरदर्शन द्वारा आयोजन के लिए नामित अधिकारियों के साथ-साथ अपने अधिकार क्षेत्र में पंजीकृत पेंशनभोगी संघों के साथ समन्वय करें।
- प्रतिदिन यह सुनिश्चित करें कि सभी जमा किए गए डीएलसी प्रोसेस हो गए हैं और पेंशनभोगी को पुष्टिकरण एसएमएस भेजा गया है।
- यूआईडीएआई के माध्यम से उनके सर्वर तक पहुंचने वाली डीएलसी के ऑटो-कन्संप्शन के लिए अभियान से पहले अपने सॉफ्टवेयर का निरीक्षण करें।
- वीडियो केवाईसी विधि के माध्यम से जीवन प्रमाणपत्र जमा करने के लिए अपने सॉफ़्टवेयर का निरीक्षण करें।
- अति-वरिष्ठ पेंशनभोगियों(80 वर्ष और उससे अधिक आयु) के अलावा महिला एवं बीमार पेंशनभोगियों को सर्वोच्च प्राथमिकता दी जाए।

- चयनित शहरों में ऐसे पेंशनभोगियों की एक अपवाद जांच-सूची तैयार करें जिन्होंने 15 नवंबर, 2026 तक जीवन प्रमाणपत्र नहीं जमा किया और उन्हें अनुस्मारक एसएमएस भेजें।
- ऐसे पेंशनभोगियों को डोरस्टेप जीवन प्रमाणपत्र सुविधा प्रदान करने की व्यवस्था करें जो अधिक आयु/अशक्तता के कारण केंद्रों पर जाने में असमर्थ हैं।
- पेंशनभोगियों को अपना जीवन प्रमाणपत्र डिजिटल रूप में जमा करने के लिए निरंतर प्रोत्साहित किया जाए। तथापि, फिजिकल एलसी देने के इच्छुक किसी भी पेंशनभोगी को मना नहीं किया जाए।
- सभी बैंक अपनी शाखा में आने वाले सभी पेंशनभोगियों के लिए डीएलसी जनरेट करें, चाहे पेंशनभोगी का पेंशन खाता किसी भी बैंक/शाखा/पीडीए में हो।
- क्षेत्रीय कार्यालयों में शिकायत अधिकारी तैनात करें और डीएलसी देने में आने वाली किसी भी कठिनाई के समाधान हेतु, पेंशनभोगियों के लिए एक हेल्पलाइन भी प्रदान करें।
- प्रत्येक कार्यक्रम का मीडिया कवरेज किया जाए तथा मीडिया रिपोर्ट को पेंशन एवं पेंशनभोगी कल्याण विभाग के साथ साझा किया जाए। 90 वर्ष से अधिक आयु के पेंशनभोगियों का डीएलसी जमा करते हुए 30 सेकंड का लघु वीडियो बनाएं।
- अभियान की मीडिया योजना तैयार करें और पेंशन एवं पेंशनभोगी कल्याण विभाग को मेल आईडी doppw-dlc@gov.in पर तस्वीरें भेजें।
- पेंशनभोगियों के लिए ई-केवाईसी पुष्टि के साथ आधार सीडिंग/लिंकिंग और अन्य समान सेवाएं प्रदान की जाएं।
- अतिरिक्त सुविधाएं जैसे निःशुल्क चिकित्सा जांच (वरिष्ठ नागरिकों के लिए अधिक प्रासंगिक परीक्षण), आधार अद्यतन, जो उचित समझें, प्रदान की जाएं।
- अभियान की अधिक एवं व्यापक कवरेज के लिए दैनिक कार्य योजना हेतु संशोधित डीएलसी पोर्टल का उपयोग करें।
- केवाईसी आधारित प्रमाणीकरण जैसे जन्म तिथि, नाम वर्तनी आदि सभी प्रमुख डेटाबेस सुधारों को भी अभियान के साथ जोड़ा जा सकता है।

3. <u>पेंशनभोगी कल्याण संघों की भूमिका</u>

- सभी पेंशनभोगी कल्याण संघ अधिकारियों को नामित करेंगे जो ऐसे पेंशनभोगियों, जो अभियान स्थलों पर जाने में असमर्थ हैं, के लिए घर/अस्पताल जाएं।
- अपने सभी सदस्यों के बीच अभियान के बारे में सक्रियता से जागरूकता फैलाएं और साथ ही सभी आरडब्ल्यूए (आवासीय कल्याण संघ) को अभियान और जीवन प्रमाणपत्र जनरेट करने के लिए फेस ऑथेंटिकेशन पद्धति के बारे में अवगत कराएं।
- एक निर्बाध डीएलसी राष्ट्रव्यापी अभियान संचालित करने के लिए स्थानीय बैंक/रक्षा (स्पर्श)/रेलवे/राज्य कोषागारों/डाकघरों/पीआईबी अधिकारियों के साथ समन्वय करें।
- पेंशनभोगियों को शिविरों में जाने के लिए प्रेरित करें।
- जीवन प्रमाणपत्र जनरेट करने में पेंशनभोगियों के समक्ष पेश आने वाली किसी भी स्थानीय कठिनाई के बारे में राज्य के संबंधित पेंशन एवं पेंशनभोगी कल्याण विभाग अधिकारी को सूचित करें।
- अभियान की मीडिया योजना तैयार करें और पेंशन एवं पेंशनभोगी कल्याण विभाग को मेल आईडी doppw-dlc@gov.in पर तस्वीरें भेजें।
- अभियान की अधिक एवं व्यापक कवरेज के लिए दैनिक कार्य योजना हेतु संशोधित डीएलसी पोर्टल का उपयोग करें।

4. <u>डाक विभाग/इंडिया पोस्ट पेमेंट्स बैंक (आईपीपीबी) की भूमिका</u>

- इंडिया पोस्ट पेमेंट्स बैंक(आईपीपीबी) के सहयोग से डाक विभाग पूरे भारत में सभी अभिज्ञापित जिलों/तहसीलों में शिविरों का आयोजन करें।
- पेंशन एवं पेंशनभोगी कल्याण विभाग के साथ शिविरों के विवरण साझा किए जाएं।
- केंद्रीय स्तर और राज्य स्तर पर समन्वय करने के लिए एक नोडल अधिकारी नामित किया जाए।
- सभी जिलों/तहसीलों के लिए नोडल अधिकारी नामित किए जाएं।

- डीएलसी पोर्टल पर डालने के लिए नोडल अधिकारियों के विवरण पैंशन एवं पैंशनभोगी कल्याण विभाग को दिए जाएं।
- बैनर, सोशल मीडिया, एसएमएस के माध्यम से जागरूकता फैलाकर इस अभियान का व्यापक प्रचार-प्रसार करें।
- 90 वर्ष से अधिक आयु के पैंशनभोगियों का डीएलसी जमा करते हुए 30 सेकंड का लघु वीडियो बनाएं।
- डीएलसी जनरेशन की तस्वीरें और सफलता गाथाएं, पैंशन एवं पैंशनभोगी कल्याण विभाग को मेल आईडी doppw-dlc@gov.in पर भेजें।
- फेस ऑथेंटिकेशन पर विशेष बल देते हुए बायोमेट्रिक के माध्यम से डीएलसी पर सभी नोडल अधिकारियों को प्रशिक्षण।
- केंद्रों में शिकायत अधिकारी तैनात करें और डीएलसी देने में आने वाली किसी भी कठिनाई के समाधान हेतु, पैंशनभोगियों के लिए एक हेल्पलाइन भी प्रदान करें।
- अतिरिक्त सुविधाएं जैसे निःशुल्क चिकित्सा जांच (वरिष्ठ नागरिकों के लिए अधिक प्रासंगिक परीक्षण), आधार अद्यतन, जो उचित समझें, प्रदान की जाएं।
- अभियान की अधिक एवं व्यापक कवरेज के लिए दैनिक कार्य योजना हेतु संशोधित डीएलसी पोर्टल का उपयोग करें।

5. **रक्षा मंत्रालय(स्पर्श) की भूमिका**

- पैंशन एवं पैंशनभोगी कल्याण विभाग के सहयोग से सीजीडीए पूरे भारत में सभी अभिज्ञापित राज्यों की राजधानियों में मेगा शिविरों का आयोजन करें। अन्य डीएलसी शिविर ऐसे स्थानों/पॉकेटों पर आयोजित किए जा सकते हैं जहां पैंशनभोगियों की संख्या अधिक हो। इसके लिए पैंशनभोगी कल्याण संघों का सहयोग लिया जा सकता है।
- केंद्रीय स्तर पर समन्वय कार्य करने हेतु एक नोडल अधिकारी नामित करें, जो संयुक्त सीजीडीए के पद से नीचे का न हो।

- प्रत्येक राज्य/संघ राज्य क्षेत्र/कमांड के लिए उप-नोडल अधिकारी नामित करें, जो डिप्टी सीडीए के पद से नीचे का न हो, जहां स्पर्श के पेंशनभोगियों के लिए शिविर का आयोजन किया जा रहा है।
- पेंशन एवं पेंशनभोगी कल्याण विभाग को नोडल अधिकारियों के विवरण भेजें।
- बैनर, सोशल मीडिया, एसएमएस तथा सैनिक कल्याण बोर्डों के माध्यम से जागरूकता फैलाकर इस अभियान का व्यापक प्रचार-प्रसार करें।
- शिविर पहुंचने वाले पेंशनभोगियों को डिजिटल जीवन प्रमाणपत्र जारी करने के लिए एक समर्पित कार्मिक को एंड्रॉइड फ़ोन दिया जाए।
- अतिरिक्त सुविधाएं जैसे निःशुल्क चिकित्सा जांच (वरिष्ठ नागरिकों के लिए अधिक प्रासंगिक परीक्षण), आधार अद्यतन, जो उचित समझें, प्रदान की जाएं।
- प्रचार के लिए सभी स्थलों पर एक समान एकरूप राष्ट्रव्यापी डीएलसी अभियान 5 बैनर प्रदर्शित करें।
- अभियान के लिए स्पर्श केंद्रों को तैयार करें और स्पर्श में डीएलसी के लिए फेस ऑथेंटिकेशन तकनीक को बढ़ावा दें।
- जिला सैनिक कल्याण बोर्डों को, चयनित शहरों में अपने कार्य क्षेत्र में अभियान चलाने की सलाह दें।
- अपने पंजीकृत पेंशनभोगी संघों को रक्षा पेंशनभोगियों को डीएलसी जमा करने में मदद करने की सलाह दें।
- ऐसे रक्षा पेंशनभोगियों के घर जाने की व्यवस्था करें जो केंद्रों पर जाने में असमर्थ हैं।
- सभी केंद्रों में शिकायत अधिकारी तैनात करें और ऐसे रक्षा पेंशनभोगियों के लिए एक हेल्पलाइन भी प्रदान करें जिनके समक्ष जीवन प्रमाणपत्र देने में समस्याएं पेश आ रही हैं।
- 15 नवंबर, 2026 को डीएलसी की स्थिति की समीक्षा करें और ऐसे रक्षा पेंशनभोगियों को अनुस्मारक एसएमएस भेजें जिन्होंने तब तक जीवन प्रमाणपत्र नहीं दिया हो।

- अभियान की मीडिया योजना तैयार करें और पेंशन एवं पेंशनभोगी कल्याण विभाग को मेल आईडी doppw-dlc@gov.in पर तस्वीरें भेजें।
- 90 वर्ष से अधिक आयु के पेंशनभोगियों का डीएलसी जमा करते हुए 30 सेकंड का लघु वीडियो बनाएं।
- अभियान की अधिक एवं व्यापक कवरेज के लिए दैनिक कार्य योजना हेतु संशोधित डीएलसी पोर्टल का उपयोग करें।

6. **रेल मंत्रालय की भूमिका**

- पेंशन एवं पेंशनभोगी कल्याण विभाग के सहयोग से रेल मंत्रालय पूरे भारत में सभी अभिज्ञापित रेलवे जोन/मंडल मुख्यालयों में मेगा शिविरों का आयोजन करें। अन्य डीएलसी शिविर ऐसे स्थानों/पॉकेटों पर आयोजित किए जा सकते हैं जहां पेंशनभोगियों की संख्या अधिक हो। इसके लिए पेंशनभोगी कल्याण संघों और बैंकों का सहयोग लिया जा सकता है।
- केंद्रीय स्तर पर समन्वय कार्य करने हेतु एक नोडल अधिकारी नामित करें, जो संयुक्त सचिव के पद से नीचे का न हो।
- प्रत्येक राज्य/संघ राज्य क्षेत्र/क्षेत्रीय कार्यालय, जहां पेंशनभोगियों के लिए शिविर का आयोजन किया जा रहा है, के लिए उप-नोडल अधिकारी नामित करें, जो निदेशक/उप सचिव के पद से नीचे का न हो।
- पेंशन एवं पेंशनभोगी कल्याण विभाग को नोडल अधिकारियों के विवरण भेजें।
- बैनर, सोशल मीडिया तथा एसएमएस के माध्यम से जागरूकता फैलाकर इस अभियान का व्यापक प्रचार-प्रसार करें।
- शिविर पहुंचने वाले पेंशनभोगियों को डिजिटल जीवन प्रमाणपत्र जारी करने के लिए एक समर्पित कार्मिक को एंड्रॉइड फ़ोन/आईओएस फोन दिया जाए।
- अतिरिक्त सुविधाएं जैसे निःशुल्क चिकित्सा जांच (वरिष्ठ नागरिकों के लिए अधिक प्रासंगिक परीक्षण), आधार अद्यतन, जो उचित समझें, प्रदान की जाएं।

- प्रचार के लिए सभी स्थलों पर एक समान एकरूप राष्ट्रव्यापी डीएलसी अभियान 5 बैनर प्रदर्शित करें।
- अपने पंजीकृत पेंशनभोगी संघों को रेलवे पेंशनभोगियों को डीएलसी जमा करने में मदद करने की सलाह दें।
- ऐसे रेलवे पेंशनभोगियों के घर जाने की व्यवस्था करें जो केंद्रों पर जाने में असमर्थ हैं।
- सभी केंद्रों में शिकायत अधिकारी तैनात करें और डीएलसी देने में आने वाली किसी भी कठिनाई के समाधान हेतु, पेंशनभोगियों के लिए एक हेल्पलाइन भी प्रदान करें।
- अभियान की मीडिया योजना तैयार करें और पेंशन एवं पेंशनभोगी कल्याण विभाग को मेल आईडी doppw-dlc@gov.in पर तस्वीरें भेजें।
- 90 वर्ष से अधिक आयु के पेंशनभोगियों का डीएलसी जमा करते हुए 30 सेकंड का लघु वीडियो बनाएं।
- अभियान की अधिक एवं व्यापक कवरेज के लिए दैनिक कार्य योजना हेतु संशोधित डीएलसी पोर्टल का उपयोग करें।

7. **दूरसंचार विभाग की भूमिका**

- दूरसंचार विभाग पूरे भारत में सभी अभिज्ञापित शहरों/कस्बों में शिविरों का आयोजन करे। इसके लिए पेंशनभोगी कल्याण संघों का सहयोग लिया जा सकता है।
- पेंशन एवं पेंशनभोगी कल्याण विभाग के साथ शिविरों के विवरण साझा किए जाएं।
- केंद्रीय स्तर और राज्य स्तर पर समन्वय करने के लिए एक नोडल अधिकारी नामित किया जाए।
- सभी शहरों/कस्बों के लिए नोडल अधिकारी नामित किए जाएं।
- डीएलसी पोर्टल पर डालने के लिए नोडल अधिकारियों के विवरण पेंशन एवं पेंशनभोगी कल्याण विभाग को दिए जाएं।

- बैनर, सोशल मीडिया, एसएमएस के माध्यम से जागरूकता फैलाकर इस अभियान का व्यापक प्रचार-प्रसार करें।
- प्रचार के लिए सभी स्थलों पर एक समान एकरूप राष्ट्रव्यापी डीएलसी अभियान 5 बैनर प्रदर्शित करें।
- 90 वर्ष से अधिक आयु के पेंशनभोगियों का डीएलसी जमा करते हुए 30 सेकंड का लघु वीडियो बनाएं।
- डीएलसी जनरेशन की तस्वीरें और सफलता गाथाएं, पेंशन एवं पेंशनभोगी कल्याण विभाग को मेल आईडी doppw-dlc@gov.in पर भेजें।
- फेस ऑथेंटिकेशन पर विशेष बल देते हुए बायोमेट्रिक के माध्यम से डीएलसी पर सभी नोडल अधिकारियों को प्रशिक्षण।
- केंद्रों में शिकायत अधिकारी तैनात करें और डीएलसी देने में आने वाली किसी भी कठिनाई के समाधान हेतु, पेंशनभोगियों के लिए एक हेल्पलाइन भी प्रदान करें।
- अतिरिक्त सुविधाएं जैसे निःशुल्क चिकित्सा जांच (वरिष्ठ नागरिकों के लिए अधिक प्रासंगिक परीक्षण), आधार अद्यतन, जो उचित समझें, प्रदान की जाएं।
- अभियान की अधिक एवं व्यापक कवरेज के लिए दैनिक कार्य योजना हेतु संशोधित डीएलसी पोर्टल का उपयोग करें।

8. **मंत्रालयों/विभागों की भूमिका**

- सभी मंत्रालयों/विभागों से अनुरोध है कि वे अपने मंत्रालयों/विभागों में राष्ट्रव्यापी डीएलसी अभियान के दिशा-निर्देशों का प्रचार-प्रसार करें ताकि अधिक से अधिक पेंशनभोगियों तक जानकारी पहुंच सके।

9. **राज्य सरकारों की भूमिका**

- राज्य पूरे भारत में अभिज्ञापित शहरों/कस्बों में डीएलसी शिविर आयोजित करें। विशेष रूप से ऐसे शहरों/कस्बों को लक्षित किया जाए जहां पेंशनभोगियों की संख्या अधिक हो।

- केंद्रीय स्तर पर समन्वय कार्य करने हेतु राज्य सरकार द्वारा पेंशन से संबंधित एक वरिष्ठ अधिकारी को नोडल अधिकारी नामित किया जाए।
- प्रत्येक जिला कोषागार/पेंशन संवितरण कार्यालय, जहां पेंशनभोगियों के लिए शिविर आयोजित किया जा रहा है, के लिए उप-नोडल अधिकारी नामित किए जाएं।
- पेंशन एवं पेंशनभोगी कल्याण विभाग को नोडल अधिकारियों के विवरण भेजें।
- बैनर, सोशल मीडिया तथा एसएमएस के माध्यम से जागरूकता फैलाकर इस अभियान का व्यापक प्रचार-प्रसार करें।
- शिविर पहुंचने वाले पेंशनभोगियों को डिजिटल जीवन प्रमाणपत्र जारी करने के लिए एक समर्पित कार्मिक को एंड्रॉइड फ़ोन/आईओएस फोन दिया जाए।
- अतिरिक्त सुविधाएं जैसे निःशुल्क चिकित्सा जांच (वरिष्ठ नागरिकों के लिए अधिक प्रासंगिक परीक्षण), आधार अद्यतन, जो उचित समझें, प्रदान की जाएं।
- प्रचार के लिए सभी स्थलों पर एक समान एकरूप राष्ट्रव्यापी डीएलसी अभियान 5 बैनर प्रदर्शित करें।
- अपने पंजीकृत पेंशनभोगी संघों को राज्य सरकार के पेंशनभोगियों को डीएलसी जमा करने में मदद करने की सलाह दें।
- राज्य सरकार के ऐसे पेंशनभोगियों के घर जाने की व्यवस्था करें जो केंद्रों पर जाने में असमर्थ हैं।
- सभी जिला कोषागारों/पेंशन संवितरण कार्यालयों में शिकायत अधिकारी तैनात करें और डीएलसी देने में आने वाली किसी भी कठिनाई के समाधान हेतु, पेंशनभोगियों के लिए एक हेल्पलाइन भी प्रदान करें।
- अभियान की मीडिया योजना तैयार करें और पेंशन एवं पेंशनभोगी कल्याण विभाग को मेल आईडी doppw-dlc@gov.in पर तस्वीरें भेजें।
- 90 वर्ष से अधिक आयु के पेंशनभोगियों का डीएलसी जमा करते हुए 30 सेकंड का लघु वीडियो बनाएं।

- अभियान की अधिक एवं व्यापक कवरेज के लिए दैनिक कार्य योजना हेतु संशोधित डीएलसी पोर्टल का उपयोग करें।

10. **ईपीएफओ की भूमिका**

- केंद्रीय स्तर पर समन्वय कार्य करने हेतु एक नोडल अधिकारी नामित करें, जो संयुक्त सचिव के पद से नीचे का न हो।
- प्रत्येक ईपीएफओ कार्यालय, जहां उनके पेंशनभोगियों के लिए शिविर का आयोजन किया जा रहा है, के लिए उप-नोडल अधिकारी नामित करें, जो निदेशक/उप सचिव के पद से नीचे का न हो।
- पेंशन एवं पेंशनभोगी कल्याण विभाग को नोडल अधिकारियों के विवरण भेजें।
- बैनर, सोशल मीडिया तथा एसएमएस के माध्यम से जागरूकता फैलाकर इस अभियान का व्यापक प्रचार-प्रसार करें।
- शिविर पहुंचने वाले पेंशनभोगियों को डिजिटल जीवन प्रमाणपत्र जारी करने के लिए एक समर्पित कार्मिक को एंड्रॉइड फ़ोन/आईओएस फोन दिया जाए।
- प्रचार के लिए सभी स्थलों पर एक समान एकरूप राष्ट्रव्यापी डीएलसी अभियान 5 बैनर प्रदर्शित करें।
- ऐसे पेंशनभोगियों के घर जाने की व्यवस्था करें जो केंद्रों पर जाने में असमर्थ हैं।
- शिकायत अधिकारी तैनात करें और डीएलसी देने में आने वाली किसी भी कठिनाई के समाधान हेतु, पेंशनभोगियों के लिए एक हेल्पलाइन भी प्रदान करें।
- अभियान की मीडिया योजना तैयार करें और पेंशन एवं पेंशनभोगी कल्याण विभाग को मेल आईडी doppw-dlc@gov.in पर तस्वीरें भेजें।
- 90 वर्ष से अधिक आयु के पेंशनभोगियों का डीएलसी जमा करते हुए 30 सेकंड का लघु वीडियो बनाएं।

- अभियान की अधिक एवं व्यापक कवरेज के लिए दैनिक कार्य योजना हेतु संशोधित डीएलसी पोर्टल का उपयोग करें।

11. <u>यूआईडीएआई की भूमिका</u>

- पूरे माह संचालित इस अभियान के लिए एक नोडल अधिकारी नामित करें।
- राज्य-वार नोडल अधिकारियों को नामित करें जो चयनित शहरों और केंद्रों में फोन पर और यथासंभव फिजीकली तकनीकी मदद दें।
- डीएलसी में जहां भी समस्याएं आएं, वहां तकनीकी मदद देने के लिए हेल्पलाइन स्थापित करें।
- राष्ट्रव्यापी डीएलसी अभियान 5 के निर्बाध संचालन के लिए एक सुदृढ़ सॉफ्टवेयर सुनिश्चित करें।
- पेंशनभोगियों को उनके आधार विवरण अद्यतित करने में अतिरिक्त मदद करने के लिए, यथासंभव, अभियान केंद्रों पर आधार अपडेशन शिविरों की व्यवस्था करें।
- क्षेत्र में अभियान के प्रभारी पेंशन एवं पेंशनभोगी कल्याण विभाग अधिकारियों के साथ समन्वय कार्य करें।

12. <u>जीवन प्रमाण टीम, मेटी (MEitY) की भूमिका</u>

- राष्ट्रव्यापी डीएलसी अभियान 5 संबंधी यथा अपेक्षित आवश्यक एमआईएस/डाटा प्रदान करने के लिए पेंशन एवं पेंशनभोगी कल्याण विभाग के अधिकारियों के साथ समन्वय करने के लिए एक नोडल अधिकारी नामित करें।
- जीवन प्रमाण ऐप पर किसी भी तकनीकी खराबी के मामले में फोन पर तकनीकी मदद देने के लिए नोडल अधिकारियों को नामित करें।
- अभियान अवधि के दौरान एक सुदृढ़ कार्यशील जीवन प्रमाण ऐप सुनिश्चित करें जिसके संचालन में कोई कमी न हो।

- क्षेत्र में अभियान के प्रभारी पेंशन एवं पेंशनभोगी कल्याण विभाग के अधिकारियों के साथ समन्वय कार्य करें।
- अभियान की भावी योजना और सफलता के लिए जीवन प्रमाण डेटा के निर्बाध अंतरण के लिए पेंशन एवं पेंशनभोगी कल्याण विभाग को सुविधा प्रदान करें।

13. <u>पीआईबी/दूरदर्शन/ऑल इंडिया रेडियो की भूमिका</u>

- संबंधित पेंशन एवं पेंशनभोगी कल्याण विभाग अधिकारी के साथ समन्वय कार्य करने के लिए नोडल अधिकारियों को नामित करें जो निदेशक/उप सचिव पद से नीचे का न हो।
- अभियान स्थलों पर विस्तृत कवरेज के लिए दूरदर्शन की टीमें तैनात करे।

****

भारत सरकार
पेंशन एवं पेंशनभोगी कल्याण विभाग

डिजिटल जीवन प्रमाणपत्र द्वारा पेंशनभोगियों का डिजिटल सशक्तिकरण - पेंशन एवं पेंशनभोगी कल्याण विभाग द्वारा डिजिटल नवप्रवर्तन में शुरू की गई सर्वोत्तम पद्धतियों में से एक।

भारत सरकार
पेंशन एवं पेंशनभोगी कल्याण विभाग

पेंशन एवं पेंशनभोगी कल्याण विभाग ने यूआईडीएआई और मेटी(MeitY) के सहयोग से, केंद्र सरकार के पेंशनभोगियों के लिए और अधिक “सुविधापूर्ण जीवन" सुनिश्चित करने के लिए डिजिटल जीवन प्रमाणपत्र जमा करने के लिए फेस ऑथेंटिकेशन तकनीक शुरू की है।

भारत सरकार
पेंशन एवं पेंशनभोगी कल्याण विभाग

फेस ऑथेंटिकेशन तकनीक के माध्यम से डीएलसी जमा करना आधार पर आधारित है जिसमें एंड्रॉइड/आईओएस मोबाइल का उपयोग किया जाता है।

भारत सरकार
पेंशन एवं पेंशनभोगी कल्याण विभाग

"फेस ऑथेंटिकेशन"
के माध्यम से जीवन प्रमाणपत्र जमा करने की प्रक्रिया

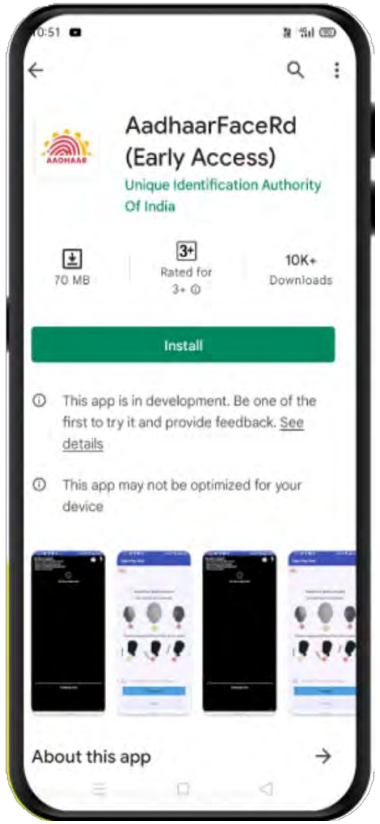

चरण-1

इस चरण में, पेंशनभोगी/कुटुंब पेंशनभोगी को गूगल प्ले स्टोर/ऐप स्टोर पर जाना होगा और यूआईडीएआई(भारतीय विशिष्ट पहचान प्राधिकरण) द्वारा "Aadhaar Face RD" सर्च करना होगा।

सत्यमेव जयते

भारत सरकार
पेंशन एवं पेंशनभोगी कल्याण विभाग

चरण -2

अपने डिवाइस पर आधार फेस आरडी ऐप को सफलतापूर्वक इंस्टॉल करने के बाद, यह ऐप मैनेजर या ऐप इंफो के तहत सेटिंग्स में दिखाई देगा। इस एप्लिकेशन का उपयोग जीवन प्रमाण एप्लिकेशन की पृष्ठभूमि प्रक्रिया के लिए किया जाता है, इसलिए इसे इंस्टॉल करना अनिवार्य है।

भारत सरकार
पेंशन एवं पेंशनभोगी कल्याण विभाग

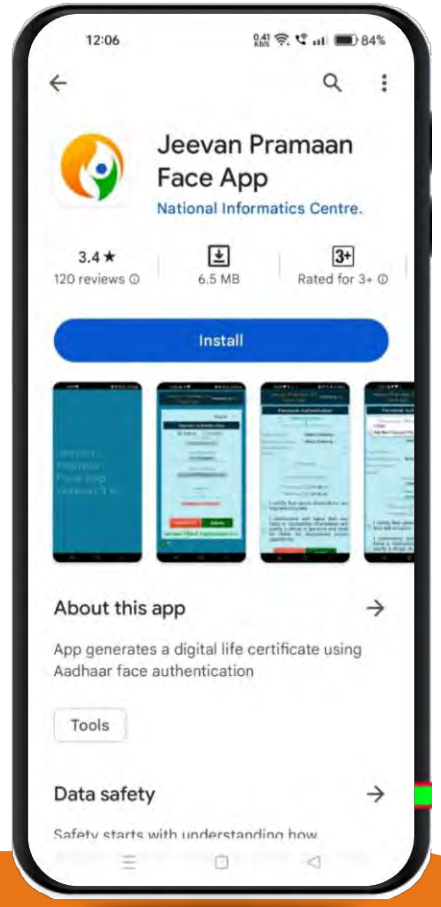

चरण -3

एक बार जब आधार फेस आरडी ऐप आपके एंड्रॉइड/आईओएस डिवाइस पर इंस्टॉल हो जाता है, तो पेंशनभोगी/कुटुंब पेंशनभोगी को गूगल प्ले स्टोर/ऐप स्टोर से "जीवन प्रमाण" नामक एक अन्य एप्लिकेशन डाउनलोड करना होगा।

भारत सरकार
पेंशन एवं पेंशनभोगी कल्याण विभाग

चरण -4

दोनों एप्लिकेशन सफलतापूर्वक इंस्टॉल करने के बाद, पेंशनभोगी/कुटुंब पेंशनभोगी को "जीवन प्रमाण" एप्लिकेशन खोलना होगा। उन्हें "ऑपरेटर ऑथेंटिकेशन" स्क्रीन पर ले जाया जाएगा जहां उन्हें अपना व्यक्तिगत ब्यौरे निम्नानुसार प्रदान करने होंगे:

1. आधार चेकबॉक्स पर क्लिक करें।
2. आधार नंबर दर्ज करें।
3. मोबाइल नंबर दर्ज करें।
4. ईमेल पता दर्ज करें।
5. सबमिट बटन पर क्लिक करें।

***कृपया यह सुनिश्चित करें कि भरी गई सारी जानकारी रिकॉर्ड के अनुसार सही है।**

***तारांकित(*) सभी भागों को भरना अनिवार्य है।**

भारत सरकार
पेंशन एवं पेंशनभोगी कल्याण विभाग

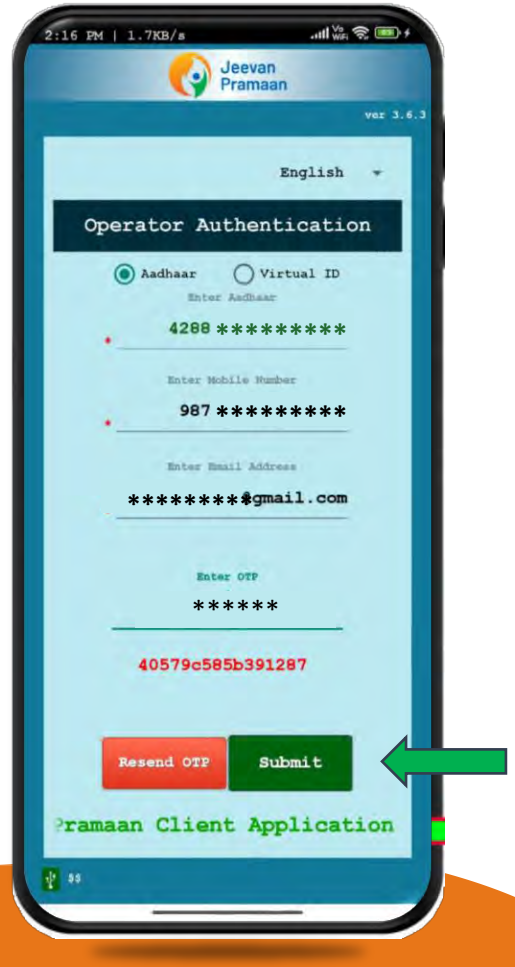

चरण -5

सभी जानकारी भरने के बाद, ऑपरेटर (पेंशनभोगी/कुटुंब पेंशनभोगी या पेंशनभोगी/कुटुंब पेंशनभोगी की ओर से कोई भी अन्य व्यक्ति) को अपने मोबाइल नंबर और ईमेल पते पर भेजे गए ओटीपी (वन टाइम पासवर्ड) को डालना होगा।

भारत सरकार
पेंशन एवं पेंशनभोगी कल्याण विभाग

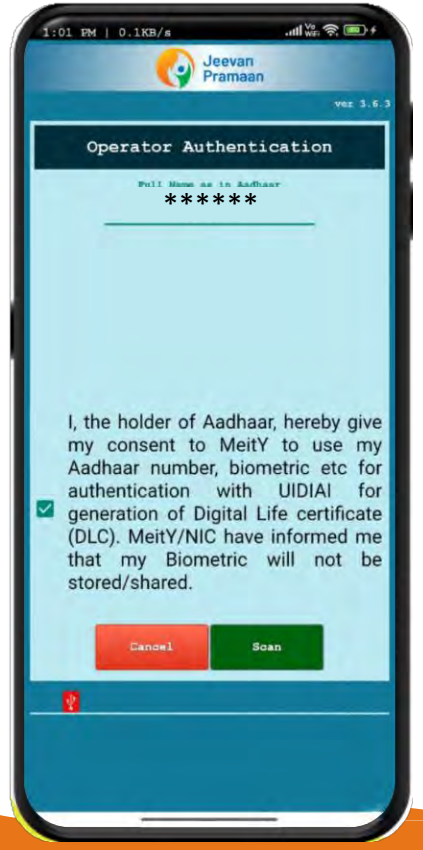

चरण-6

ओटीपी सबमिट करने के बाद, जीवन प्रमाण ऐप द्वारा ऑपरेटर(पेंशनभोगी/कुटुंब पेंशनभोगी या पेंशनभोगी/कुटुंब पेंशनभोगी की ओर से कोई अन्य व्यक्ति) को एक स्क्रीन पर ले जाएगा जहां उन्हें आधार के अनुसार अपना नाम डालना होगा। उन्हें चेकबॉक्स पर क्लिक करना होगा और फिर स्कैन पर क्लिक करना होगा। ऐप, फेस स्कैन के लिए अनुमति मांगेगा, और पेंशनभोगी/कुटुंब पेंशनभोगी को प्रक्रिया जारी रखने के लिए “Yes" दबाना होगा।

भारत सरकार
पेंशन एवं पेंशनभोगी कल्याण विभाग

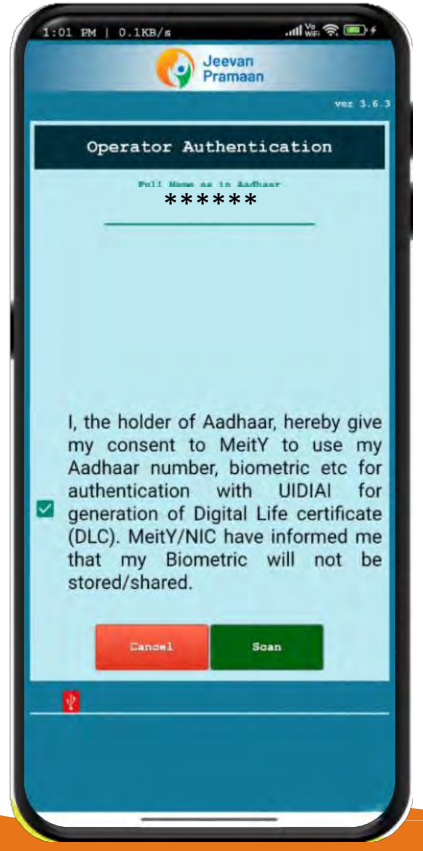

टिप्पणी

पेंशनभोगी का डीएलसी जनरेट करने के लिए दो फेस ऑथेंटिकेशन करने होंगे। पहला फेस ऑथेंटिकेशन उस ऑपरेटर का होगा जो पेंशनभोगी का डीएलसी जनरेट करने के लिए फेस ऑथेंटिकेशन तकनीक का उपयोग करेगा।

पेंशनभोगी/कुटुंब पेंशनभोगी या पेंशनभोगी/कुटुंब पेंशनभोगी की ओर से कोई भी अन्य व्यक्ति डीएलसी जनरेट करने के लिए ऑपरेटर बन सकता है।

दूसरा फेस ऑथेंटिकेशन, पेंशन संबंधी ब्यौरे भरने के बाद, पेंशनभोगी/कुटुंब पेंशनभोगी का होगा।

भारत सरकार
पेंशन एवं पेंशनभोगी कल्याण विभाग

चरण -7

स्कैन से पूर्व, ऐप फेस स्कैन के लिए निर्देश और दिशानिर्देश प्रदर्शित करेगा। ऑपरेटर/पेंशनभोगी/कुटुंब पेंशनभोगी को इन्हें ध्यानपूर्वक पढ़ना चाहिए। बाद में, आगे जारी रखने के लिए उन्हें " I am aware of this" चेक्बॉक्स पर क्लिक करना होगा और फिर "Proceed" दबाना होगा। ऐप उनका चेहरा कैपचर कर लेगा.

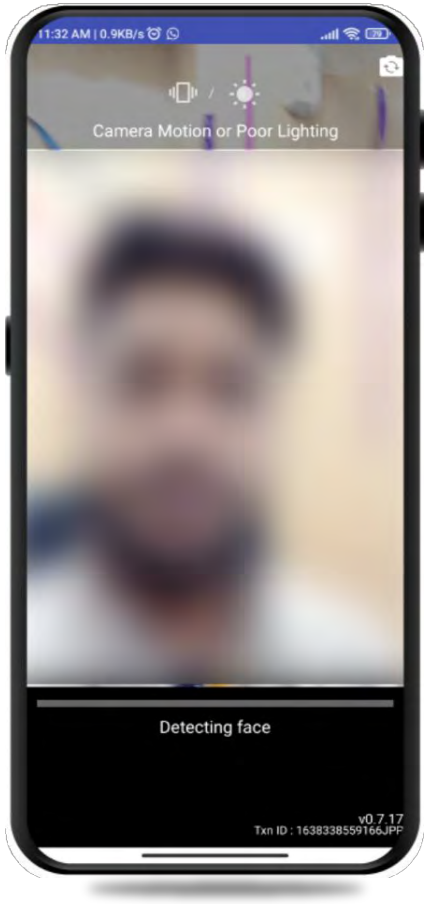

भारत सरकार
पेंशन एवं पेंशनभोगी कल्याण विभाग

चरण -8

टिप्पणी:-

1. ऑपरेटर ऑथेंटिकेशन प्रक्रिया एक बार ही की जाएगी।
2. पेंशनभोगी स्वयं भी ऑपरेटर हो सकता है।
3. एक ऑपरेटर कई पेंशनभोगियों के लिए डीएलसी जनरेट कर सकता है।
4. **ऑपरेटर ऑथेंटिकेशन के बाद, पेंशनभोगी ऑथेंटिकेशन के लिए एक स्क्रीन खुलेगी।**

भारत सरकार
पेंशन एवं पेंशनभोगी कल्याण विभाग

चरण -9

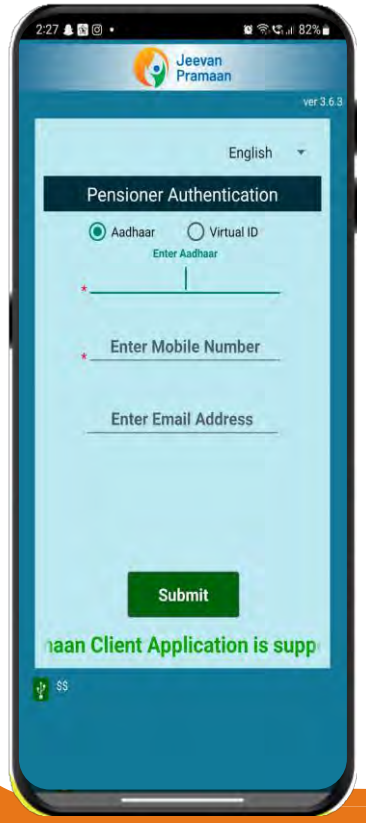

छवि-1

ऑपरेटर ऑथेंटिकेशन के बाद पेंशनभोगी ऑथेंटिकेशन के लिए एक स्क्रीन खुलेगी (छवि -1) जहां उन्हें अपना व्यक्तिगत ब्यौरे निम्नानुसार प्रदान करने होंगे:

1. आधार चेकबॉक्स पर क्लिक करें।
2. आधार नंबर दर्ज करें।
3. मोबाइल नंबर दर्ज करें।
4. ईमेल पता दर्ज करें (अनिवार्य नहीं)।
5. 'सबमिट' बटन पर क्लिक करें।
6. सबमिट बटन पर क्लिक करने पर, स्क्रीन पर एक विकल्प दिखाई देगा 'Enter OTP' (छवि -2)
7. ओटीपी दर्ज करें और सबमिट बटन पर क्लिक करें

छवि-2

भारत सरकार
पेंशन एवं पेंशनभोगी कल्याण विभाग

चरण -10

ओटीपी डालने के बाद एक स्क्रीन खुलेगी (छवि-1) जहां निम्नलिखित जानकारी प्रदान की जानी है:

1. आधार के अनुसार पूरा नाम
2. पेंशन का प्रकार
3. संस्वीकृति प्राधिकारी
4. संवितरण एजेंसी
5. पीपीओ संख्या
6. खाता संख्या(पेंशन)
7. घोषणाओं पर क्लिक करें
8. सबमिट बटन पर क्लिक करें
9. छवि-2 के अनुसार पुष्टि करने की अनुमति स्क्रीन पर दिखाई देगी

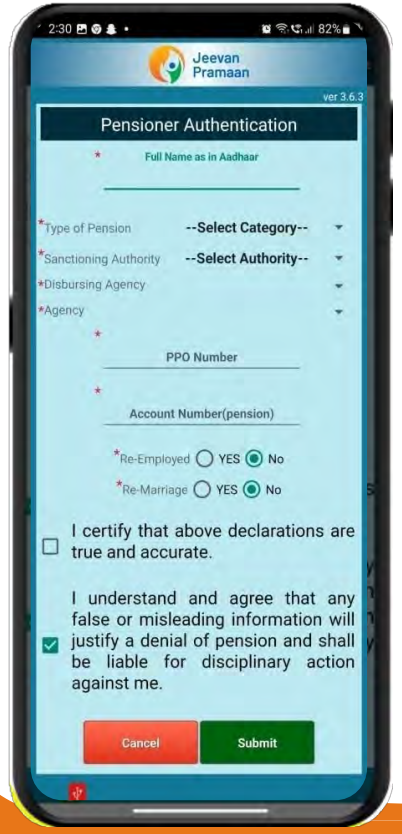

छवि-1

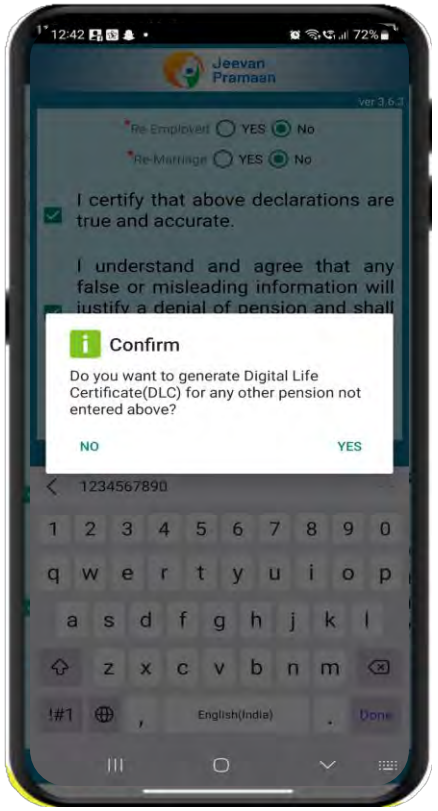

छवि-2

सत्यमेव जयते

भारत सरकार
पेंशन एवं पेंशनभोगी कल्याण विभाग

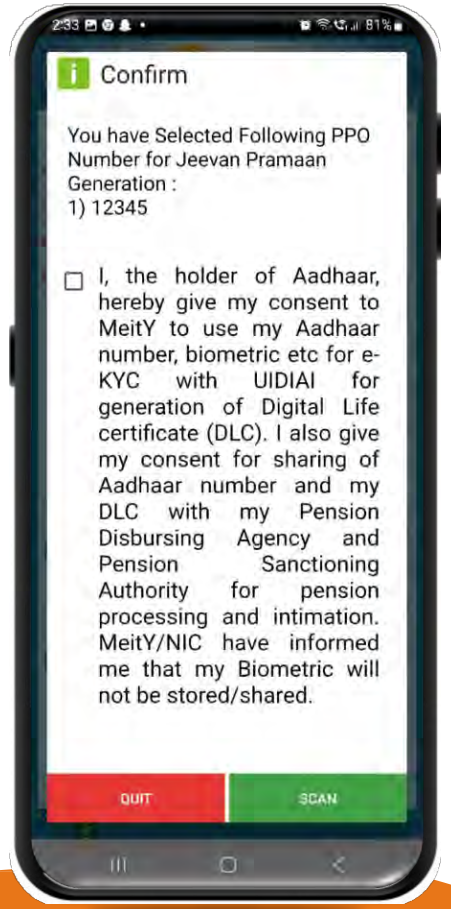

चरण -11

स्कैन के लिए सहमति और अनुमति देने के लिए एक स्क्रीन दिखाई देगी।

स्कैन पर क्लिक करें।

चेहरे को स्कैन करने की प्रक्रिया शुरू हो जाएगी।

भारत सरकार
पेंशन एवं पेंशनभोगी कल्याण विभाग

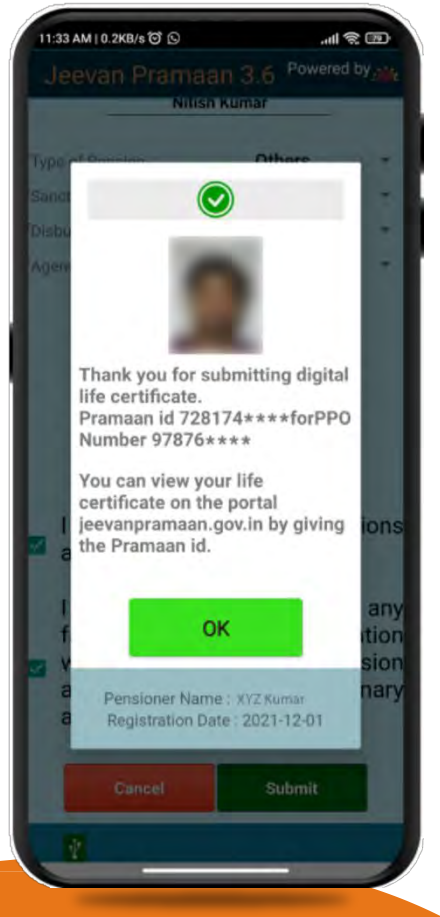

- फेस स्कैनिंग के बाद प्रमाण आईडी और पीपीओ संख्या के साथ डीएलसी सबमिशन, मोबाइल स्क्रीन पर दिखाई देगा।
- प्रमाणपत्र डाउनलोड करने के लिए विजिट करें : https://jeevanpramaan.gov.in/ → Pensioner Login/ Sign in → Enter Jeevan Pramaan ID

* प्रश्नों के लिए हमें doppw-dlc@gov.in पर मेल करें

* फेसबुक और ट्विटर पर हमें फॉलो करें

@facebook.com/DoPPW.India @twitter.com/DOPPW_India

*डीएलसी डॉक्युमेंट्री

https://www.youtube.com/watch?v=YYYwcyOTNJk&t=148s

AADHAAR

सत्यमेव जयते

Digital India
Power To Empower

जनहित में जारी

भारत सरकार

कार्मिक, लोक शिकायत तथा पेंशन मंत्रालय

पेंशन एवं पेंशनभोगी कल्याण विभाग

सत्यमेव जयते

DLC Campaign Portal

User Manual

Last Updated: Monday, July 31, 2023

NIC एनआईसी National Informatics Centre

TABLE OF CONTENTS

Page #

1. How to Access.....3

2. How to Login.....5

3. Intimation of Camp Details 7

4. Updation/Editing of Existing Camp Details.....12

How to Access *"DLC Campaign Portal"*

URL: - **https://ipension.nic.in/dlcportal/**

"DLC Campaign Portal" Home Page

➢ **Home Page:-**

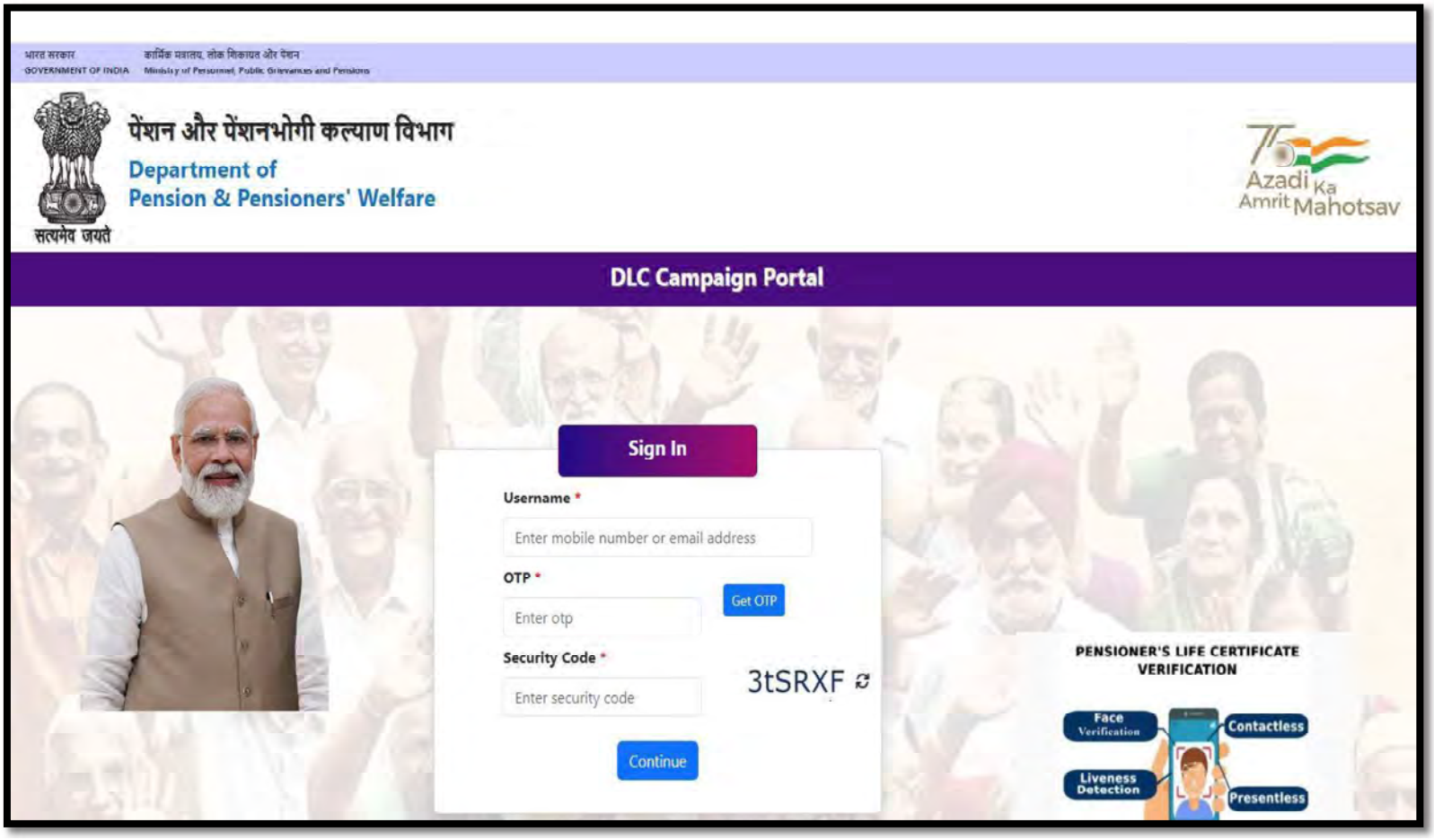

Login in *"DLC Campaign Portal"* by User

➢ The user can login by using **Mobile Number** or **Email-ID.**

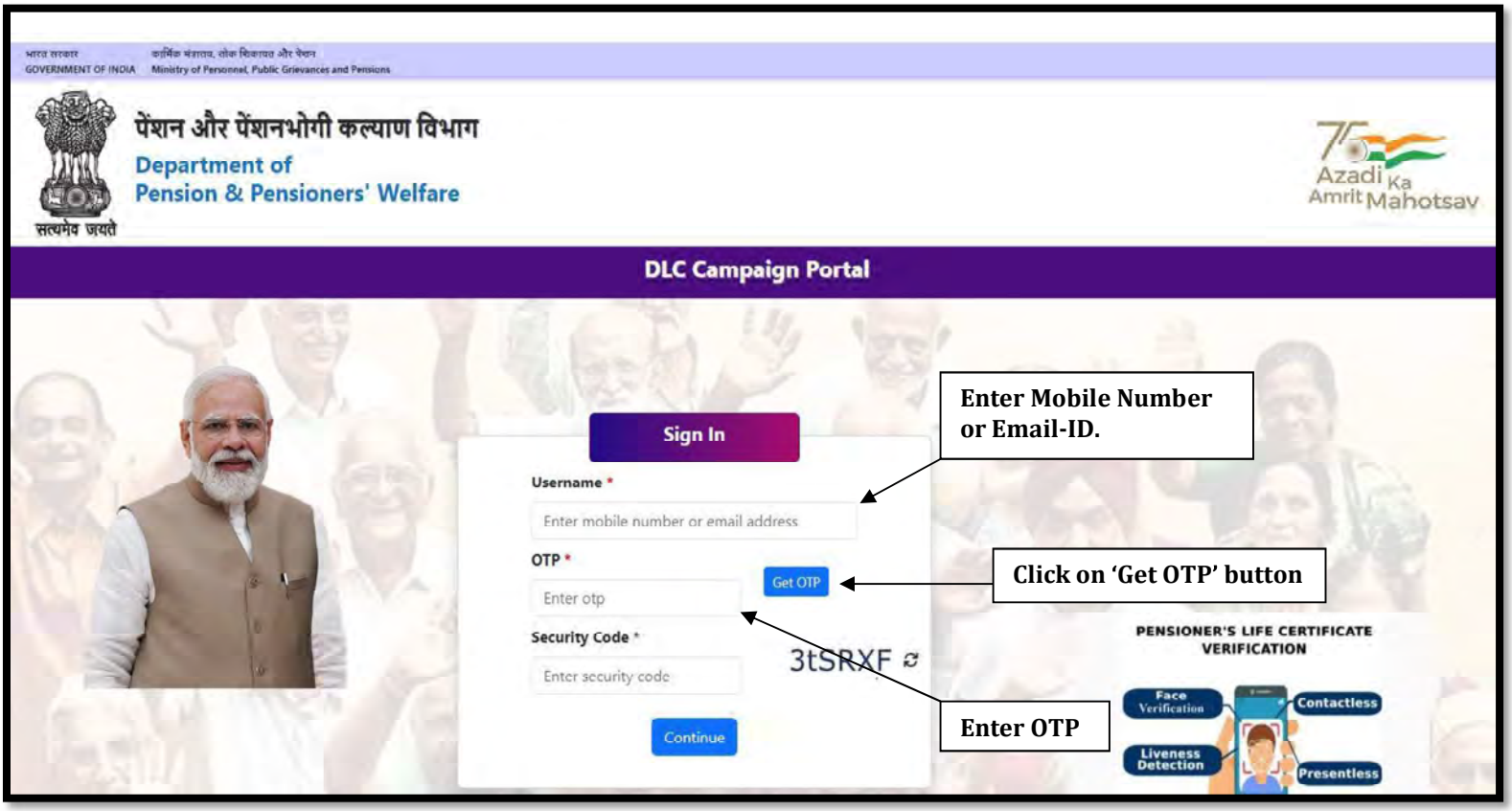

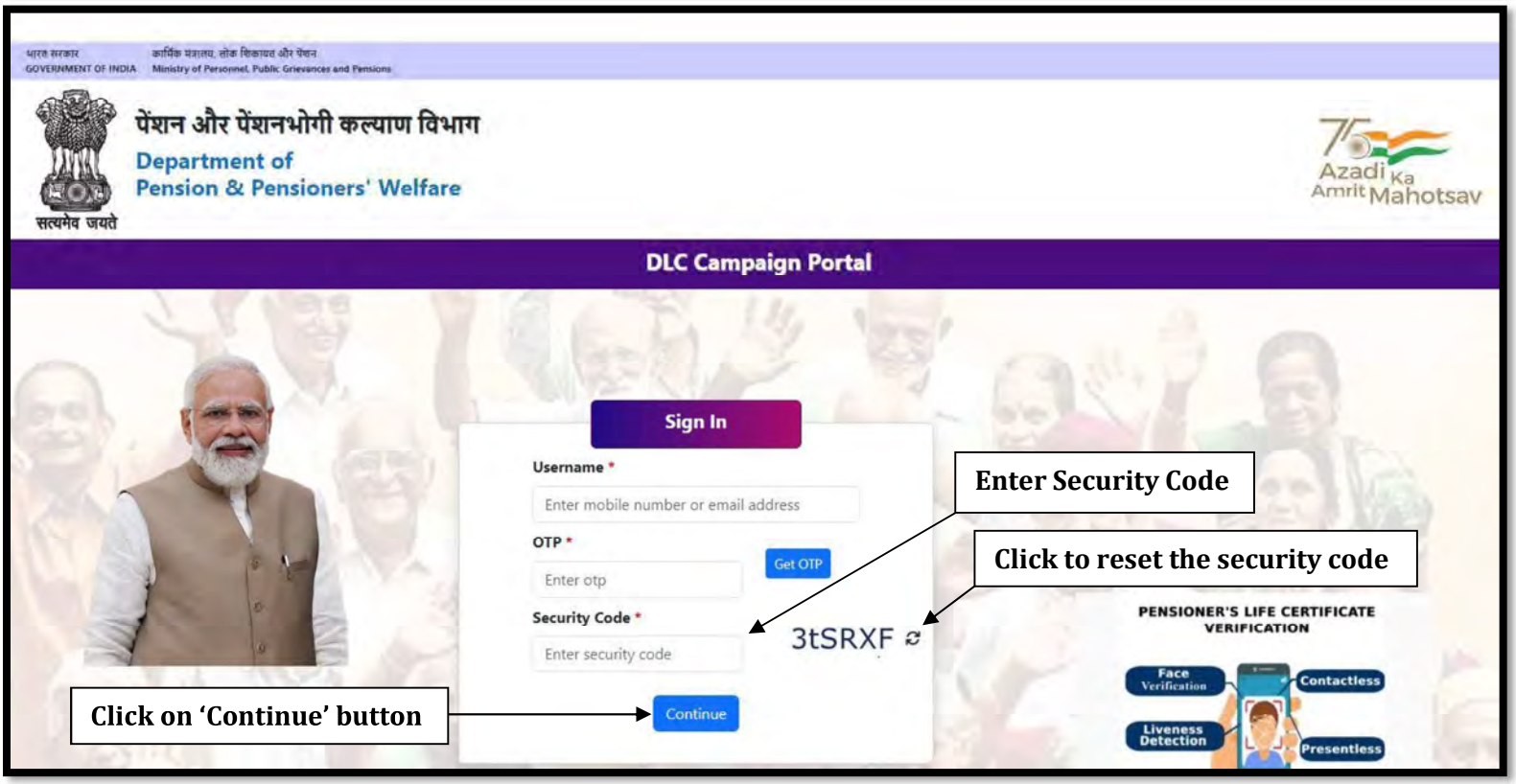

Steps to Login

- Enter your registered mobile number or email-id.
- Click on 'Get OTP' button to get the OTP on your registered mobile number or email-id.
- Enter the OTP which you have got on your registered mobile number or email-id.
- Enter the Security Code/Captcha.
- Click on 'Continue' button.

DLC Camp Details

- After logging in, the user will be redirected to DLC Camp Details. Here, the user needs to fill the details about DLC Camp.

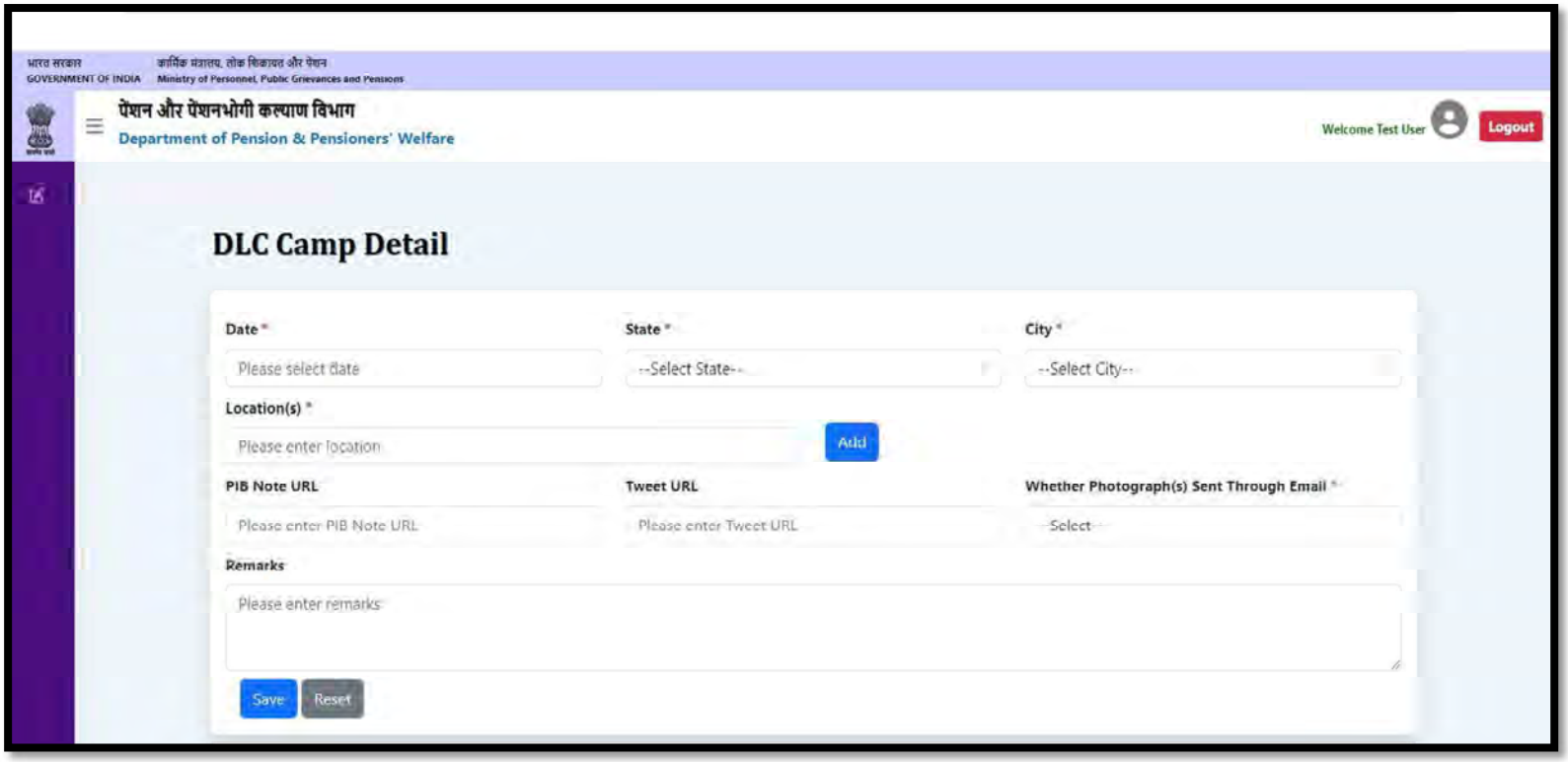

- The user can select date from the calendar.

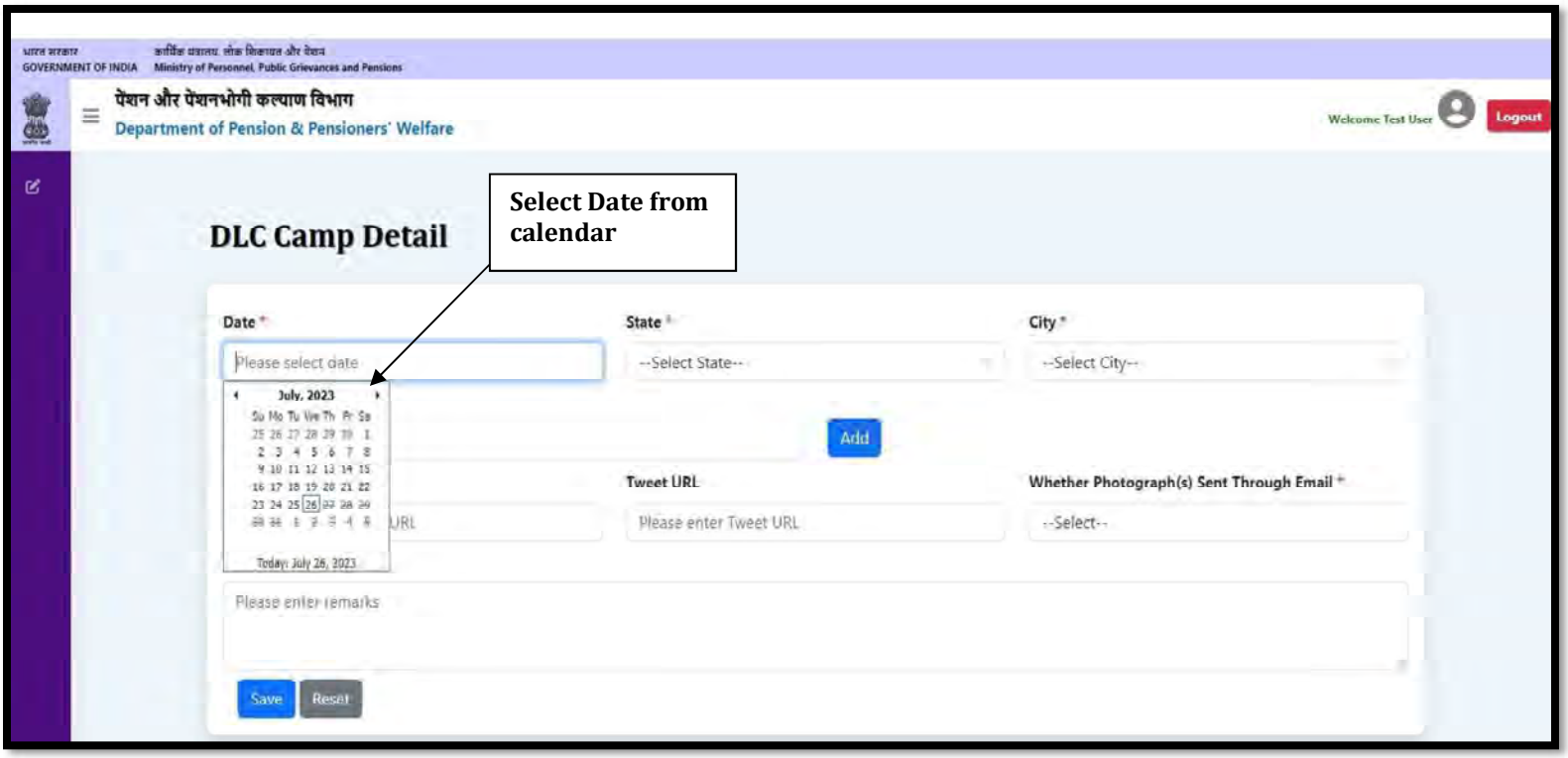

- The user can select the state from dropdown list.

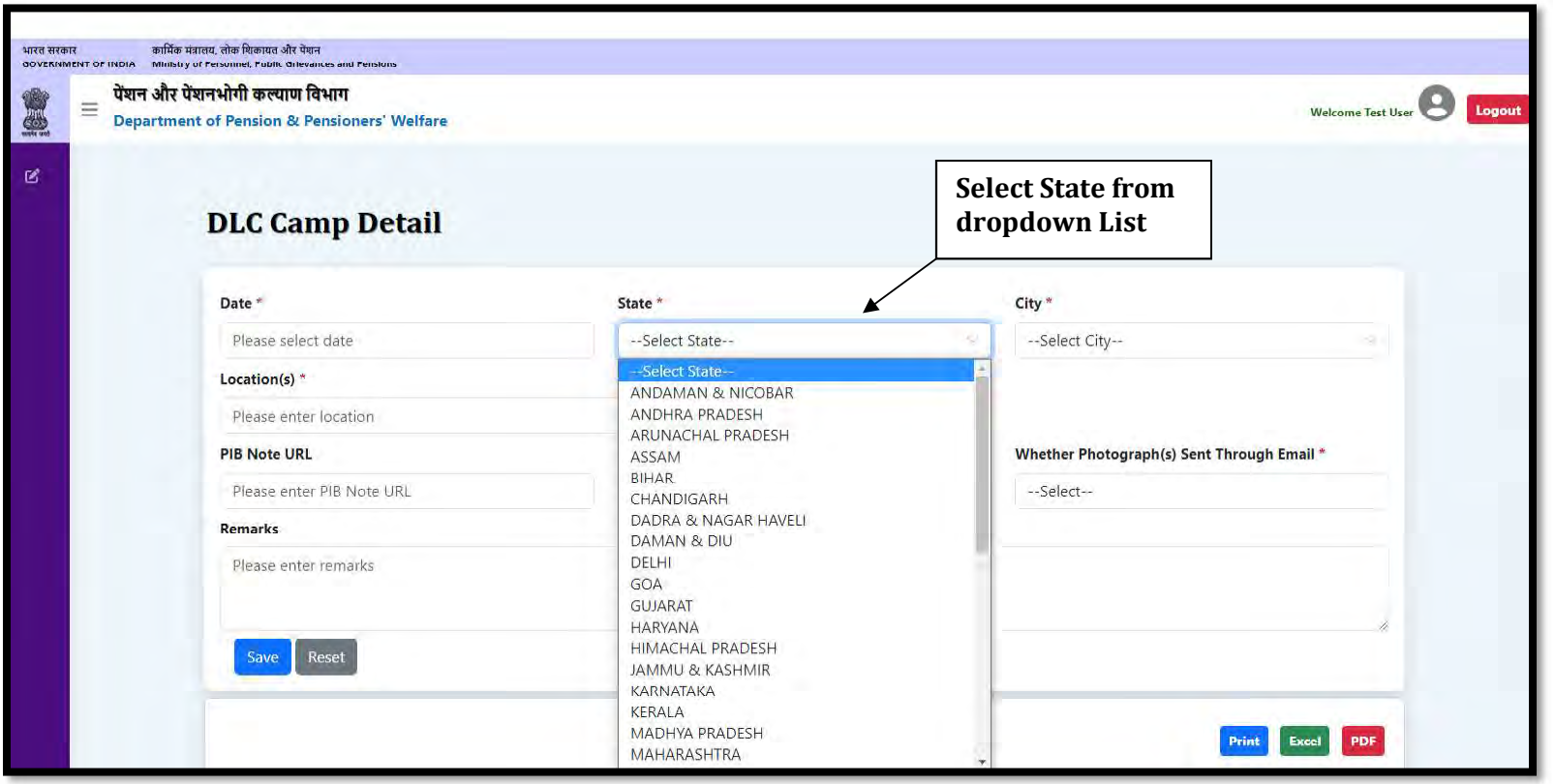

- The user can select a city from the city dropdown list, the dropdown list for the city will be populated after selecting the state from the state dropdown list.

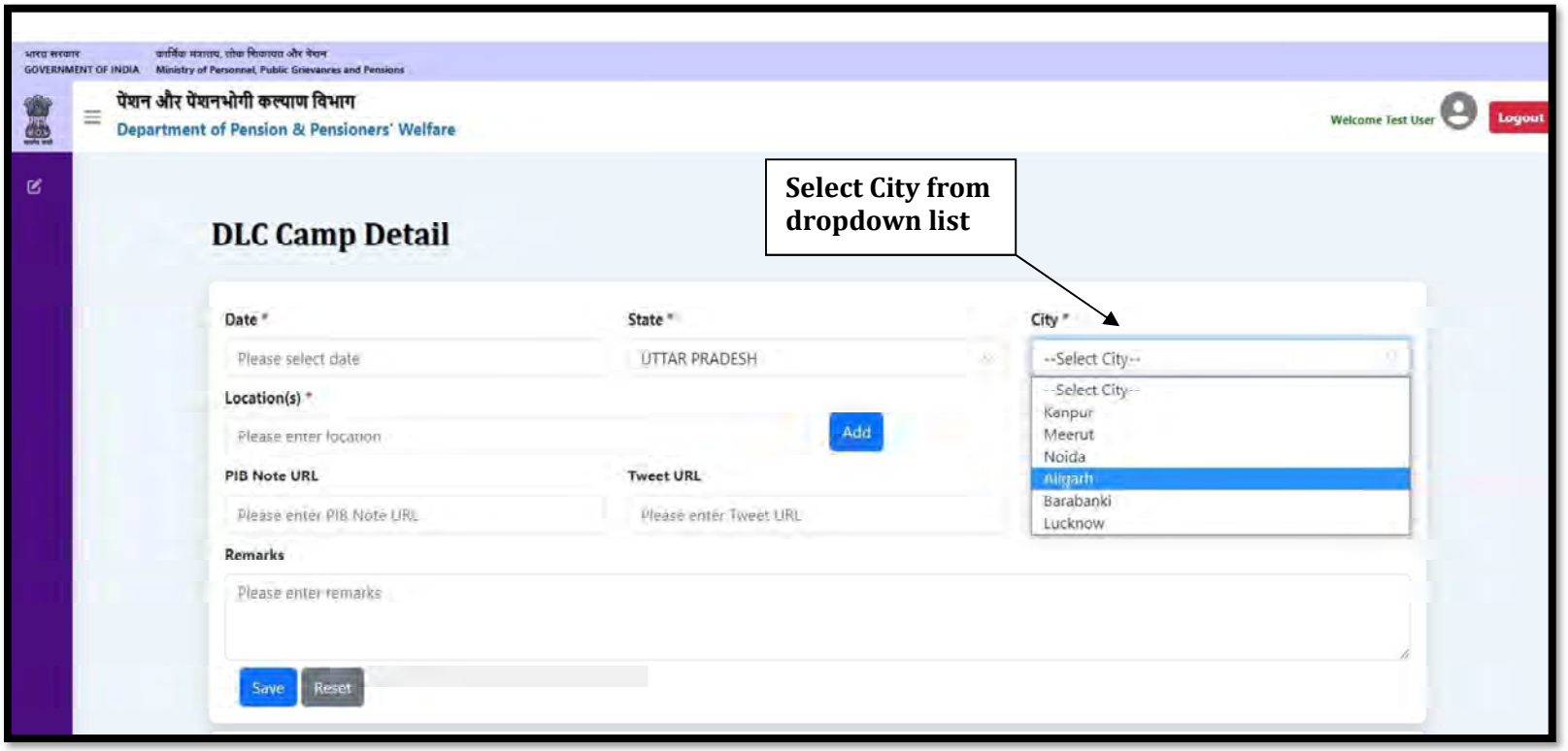

- Enter the Location and click on the **Add** button.

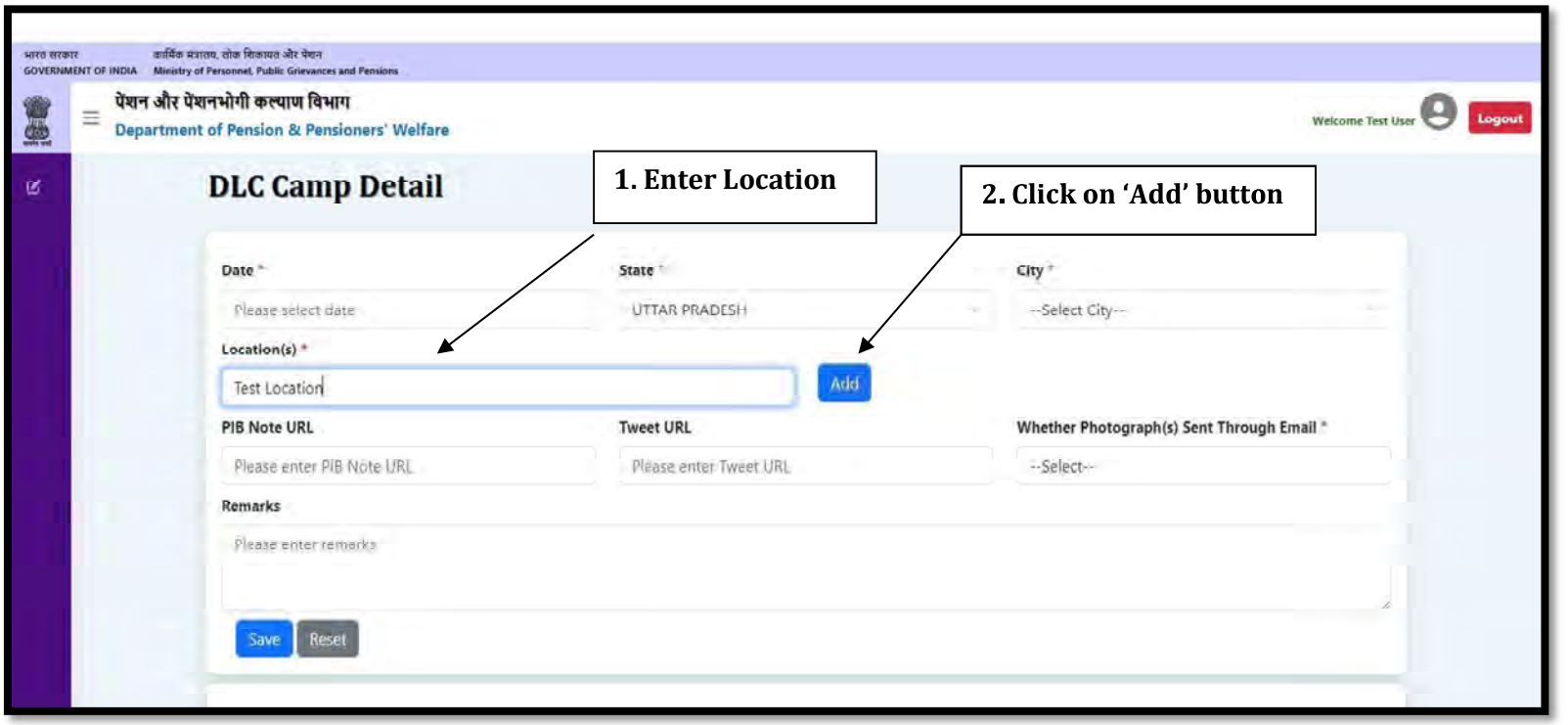

- Click on the **Edit** button to edit the saved location.
- Click on the **Update** button to save the location.
- Click on the **Cancel** button to cancel.
- Click on the **Delete** button to delete the location.

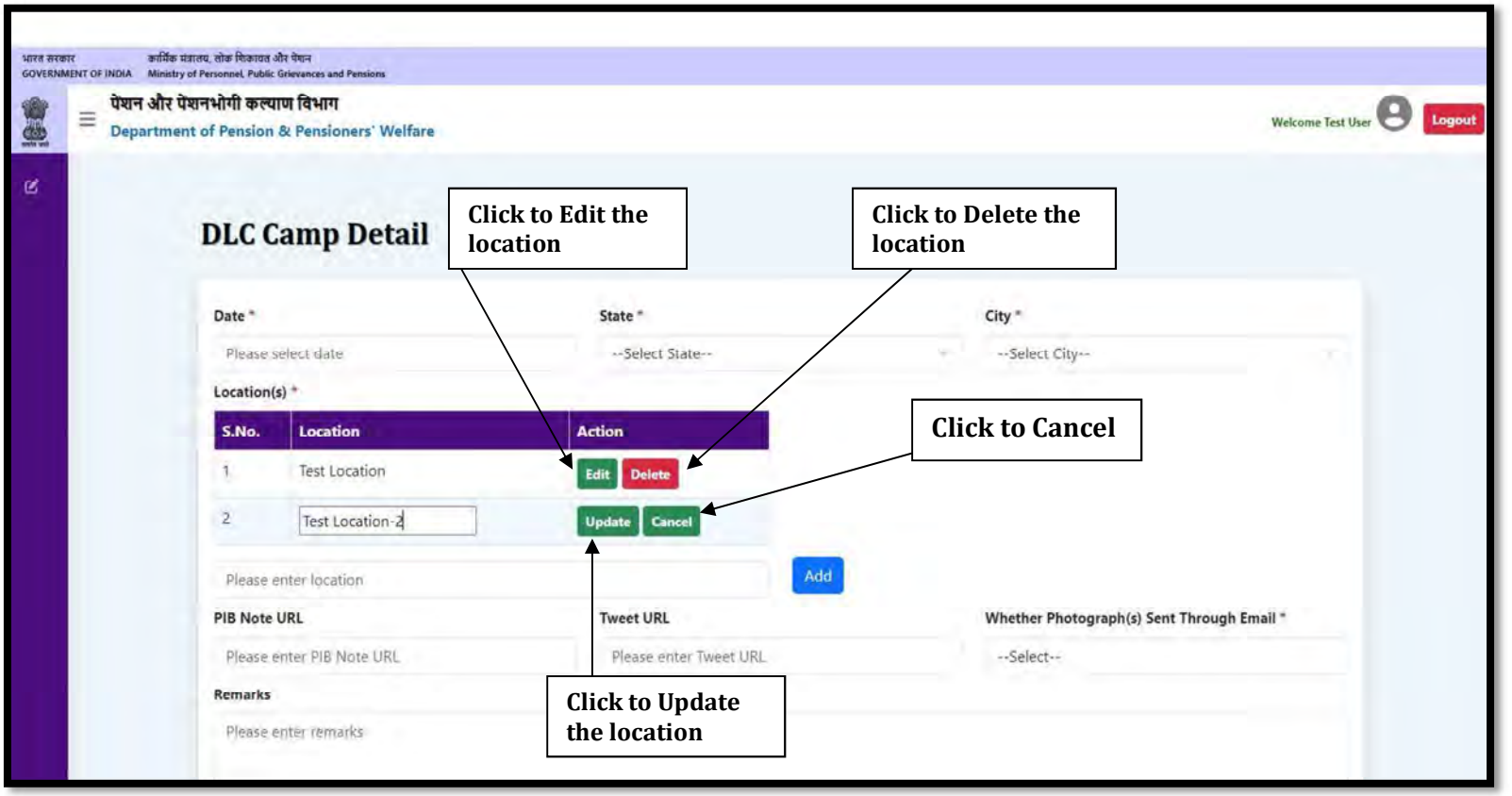

- If any PIB Note URL has been issued, enter the URL in the PIB Note URL field.
- If any Tweet URL has been issued, enter the URL in the Tweet URL field.

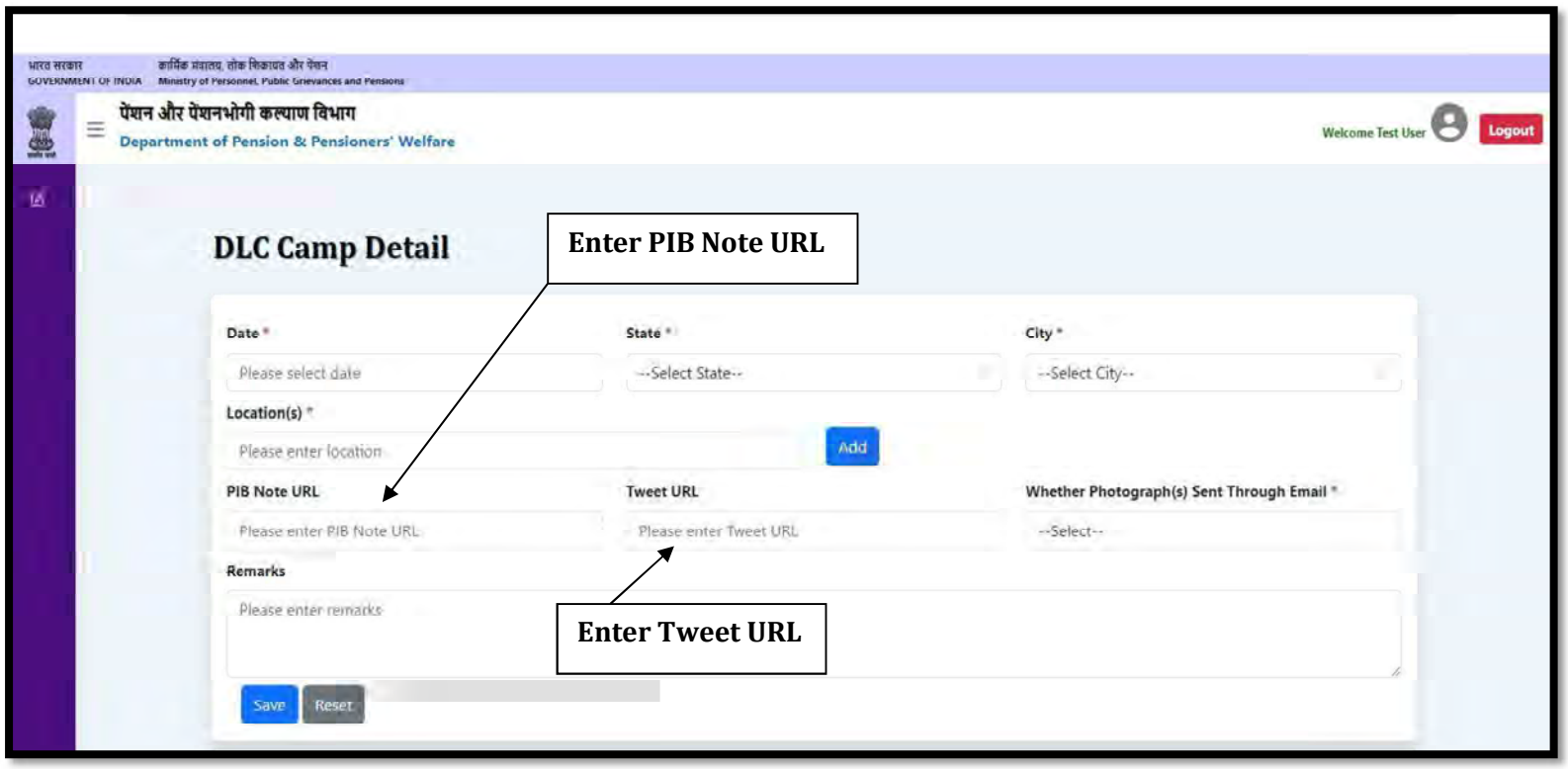

- If you have sent the photograph(s) of DLC Camp through email on **doppw-dlc@gov.in**, then select **Yes** from the dropdown otherwise, select **No**.
- If you have any query regarding DLC Camp, then enters your query in **Remarks** field up to **500** characters.
- Click on the **Save** button to save the details.

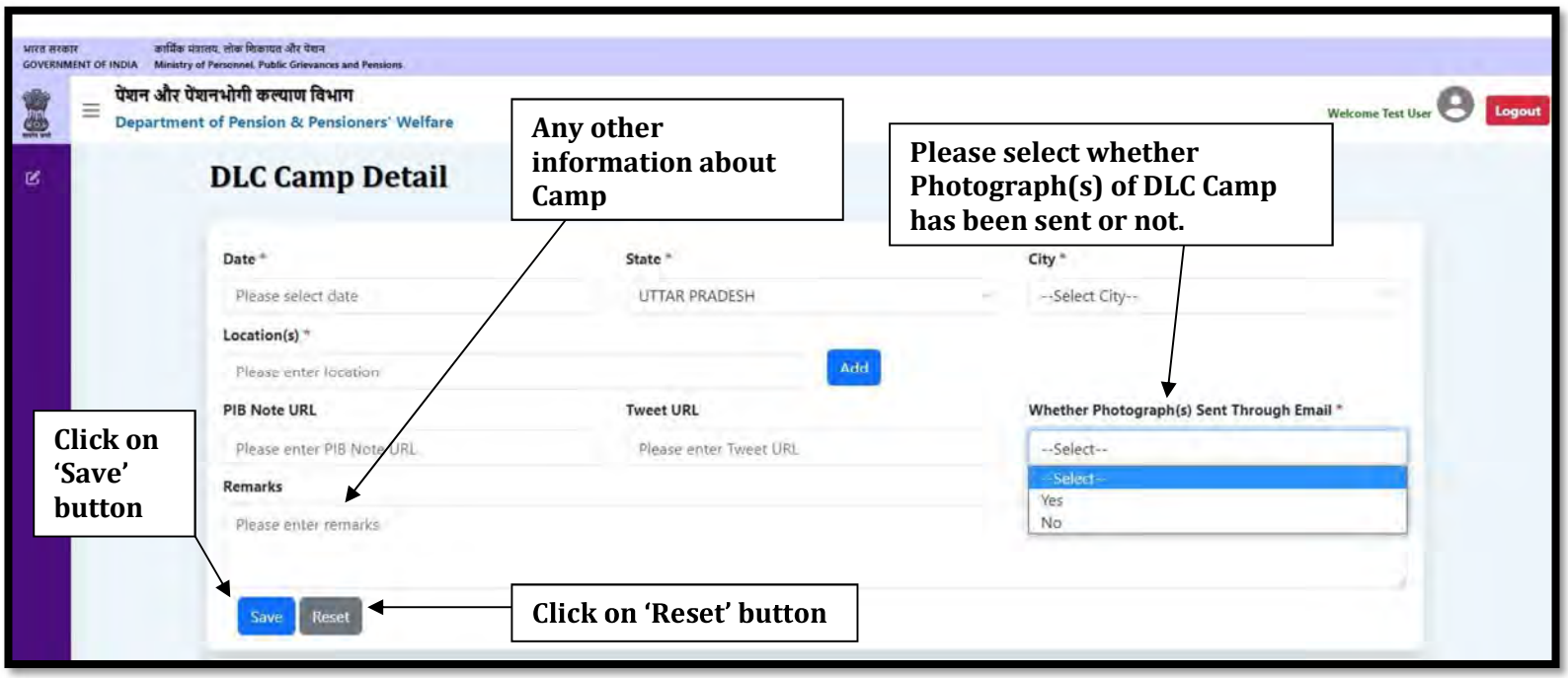

- The user can see saved DLC Camp Details in the list, if the user wants to edit the DLC Camp Details, then click on the **Edit** button.

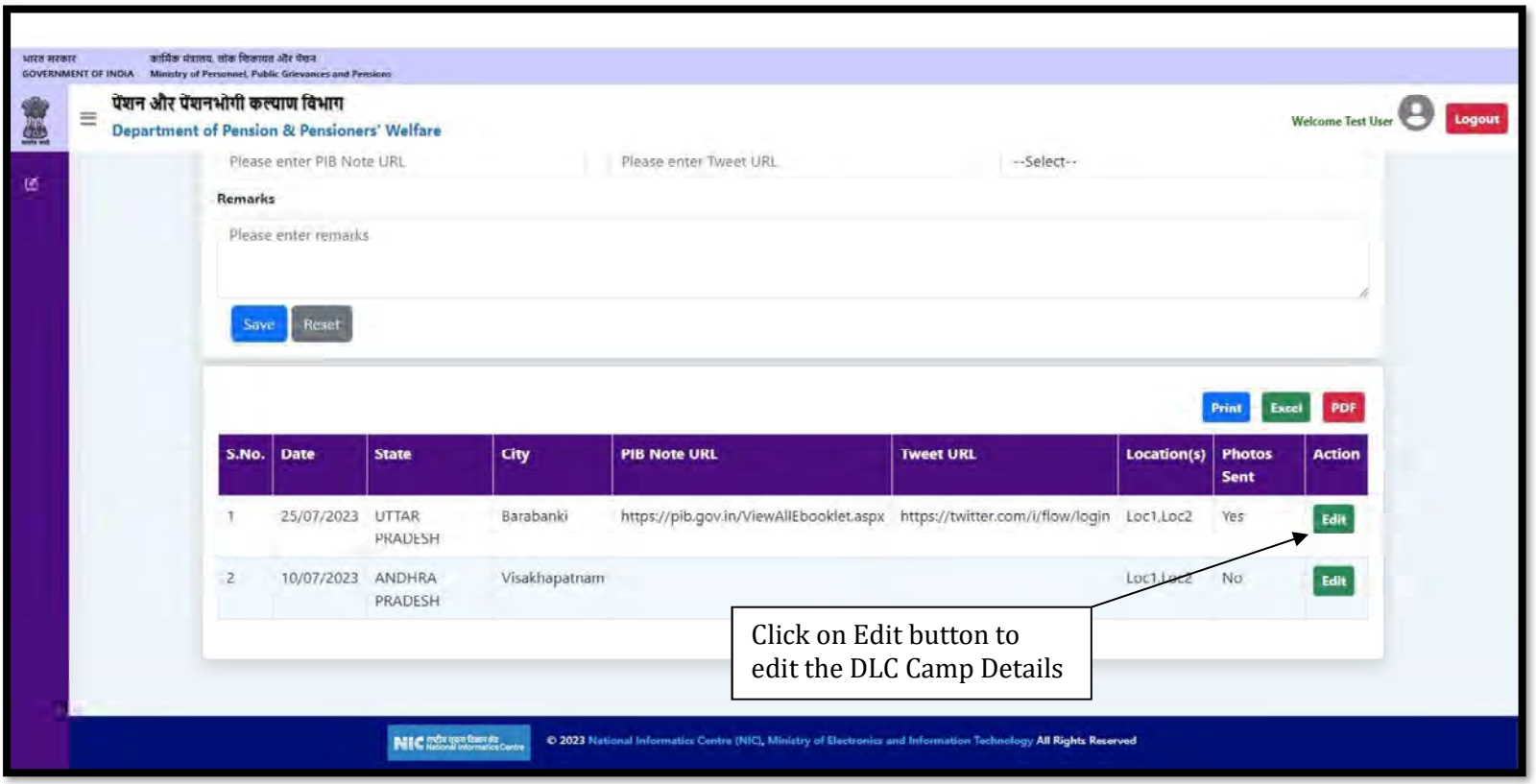

Updation/Editing of Existing DLC Camp Details

- Update/Edit the desired information/details and click on the **Update** button.

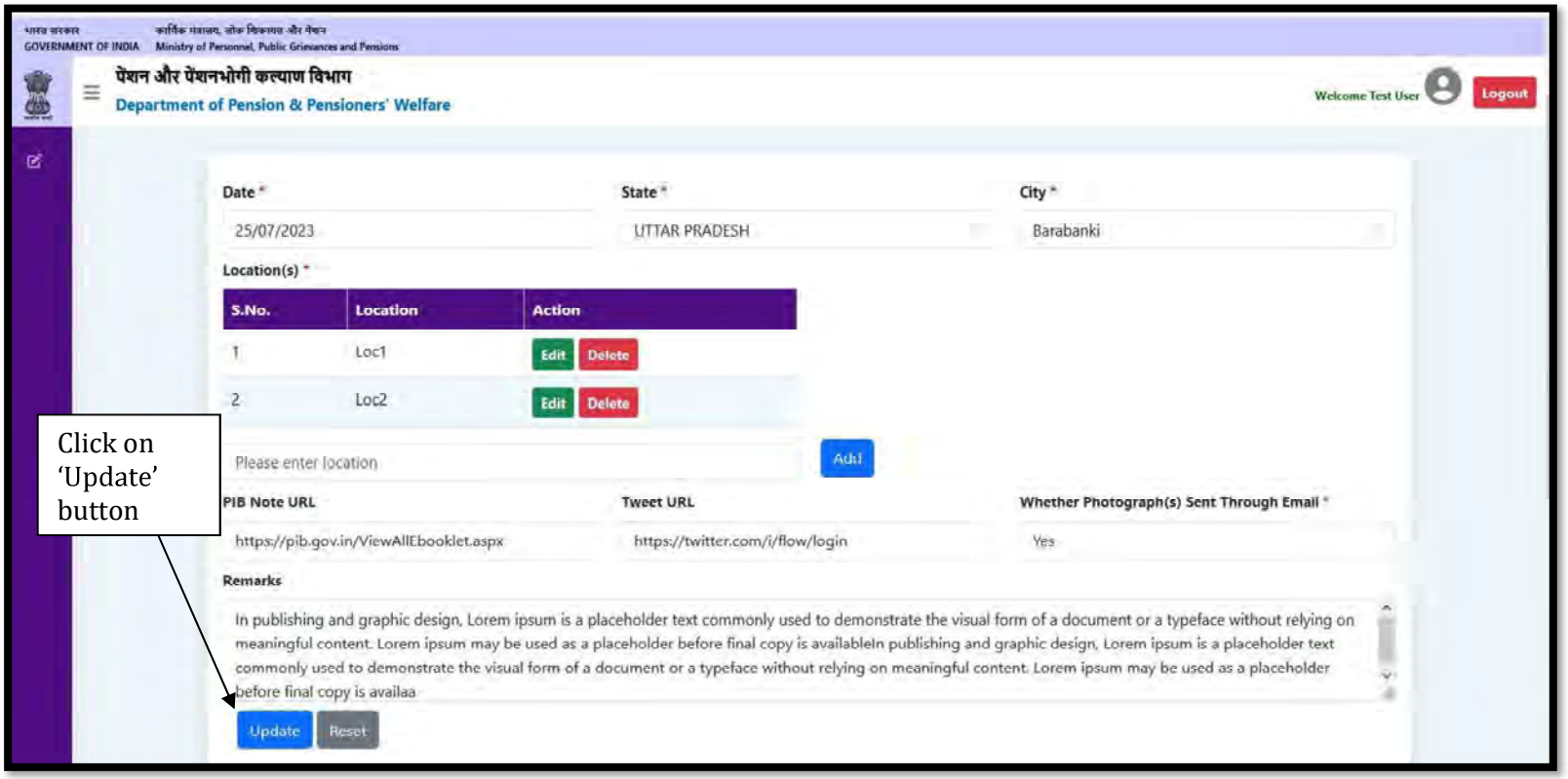

--- End ---